सरल कानूनी ज्ञान माला – 36

श्रम कानून

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com

1. कहानी – मेहनत की कीमत

मुकेष एक कपड़ा मिल में लूम चलाने का काम करता था। उसका एक ही बेटा था। सुरेष 10 वीं में पढ़ता था।

एक दिन मुकेष जब काम से लौट कर घर पहुंचा तो बेटा सुरेष अपनी पूरी मित्र मंडली के साथ घर पर किसी चर्चा में व्यस्त था।

सुरेष बोला ''लो पिताजी आ गये। उन्हीं की मदद लेते हैं''।

मुकेष को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा– ''कैसी मदद भाई? क्या बात है? कोई गंम्भीर चर्चा हो रही है?''

सब हंस पड़े।

सुरेष बोला ''पिताजी स्कूल में वार्शिक उत्सव मनाया जा रहा है। हम सबकों एक नाटक करना है। कोई विशय बताओं ना? नाटक हम लिख लेंगे।''

मुकेष मुस्कराया। अपने छात्र जीवन में वो भी नाटकों में हिस्सा लेता रहा था। मुकेष बोला–''जब हम पढ़ते थे तो हमने भी बहुत नाटक किये। लेकिन एक नाटक को मैं कभी भूल नहीं पाता।''

सुरेष ने पूछा ''क्या नाम था उस नाटक का?''

''मेहनत की कीमत''– मुकेष ने कहा।

सब बच्चे बोले– ''उसकी कहानी बता दो। नाटक हम लिख लेंगे।''

मुकेष ने बोलना षुरू किया–

एक राजा की रानी बीमार पड़ गयी। राजवैद्य को दिखाया। कोई फायदा न हुआ। दूर देष के वैद्य बुलाये गये। सब बेकार। झाड़ने फूंकने वाले आये। कुछ न हुआ। रानी की हालत बिगड़ती गई।

राजा ने पुरस्कार की घोशणा कर दी कि जो कोई मेरी रानी का उपचार कर देगा उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जायेगा।

पुरस्कार की खबर आसपास के राज्यों तक फैलने लगी।

राजा की निराषा बढ़ती जा रही थी।

दिन बीतते गये–महीनों बीत गये। रानी मरणासन्न हो गई। तभी किसी दूर देष से एक वैद्य आया उसने राजमहल के द्वारपाल से कहा ''मैं राजा से मिलना चाहता हूं।''

द्वारपाल ने पूछा ''किसलिए''?

वैद्य बोला– ''सम्राट को जाकर बताओं कि मैं रानी का उपचार कर सकता हूं।''

''थोड़ी देर प्रतीक्षा करो''– ये कहकर द्वारपाल राजा के पास दौड़कर गया।

कुछ देर बाद राजा स्वयं दौड़कर वैद्य को लेने आया।

वैद्य ने राजमहल में जाकर रानी की जांच की और बोला– ''रानी ठीक हो जायेगी महाराज और मेरी एक पुड़िया में ही हो जायेगी।''

राजा बड़ी प्रसन्नता से बाला–''दवा फौरन दीजिए ना वैद्यराज''

वैद्यराज ने थैले में से एक पुड़िया निकाली और कहा ''ये लो एक ही पुड़िया है'' इसे दो बूंद पसीने में मिलाकर दे देना–ईष्वर ने चाहा तो एक पुड़िया ही काम कर जायेगी।''

राजा ने पास खड़े मंत्री से कहा ''वैद्यराज को हमारे विषेश अतिथिगृह में ले जाइये। पूरे सम्मान के साथ इनके रहने की व्यवस्था करो। महारानी के ठीक होने तक ये हमारे राजकीय अतिथि रहेंगे। दवा ने काम किया जो इन्हें बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा।''

वैद्यराज राजा को प्रणाम करके मंत्री के साथ अतिथिगृह चले गये।

अगले दिन राजा ने अपने मंत्रीमंडल की बैठक बुलाकर महामंत्री से कहा ''महामंत्री आप जानते हो महारानी अस्वस्थ हैं। वैद्यराज की दवा दो बूंद पसीने में मिलाकर देना है। क्या दो बूंद पसीना है आपके पास?''

महामंत्री बंगलें झांकते हुए बाला– ''महाराज मेरे पास तो नहीं है–हां मैं बहुत जल्दी पसीने की बूंदों की व्यवस्था कर दूंगा। मुझे कुछ समय दीजिए।''

राजा के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। राजा बोला ''अगर सात दिन के अंदर दो बूंद पसीना नहीं मिला तो याद रखना आपको सूली पर लटका दूंगा। जाईये।''

मंत्री ने भी तुरंत अपने चार दूतों का दल बुलवाया और कहा–''तुम चारों लोग चार दिषाओं में जाओ। एक उत्तर में, एक दक्षिण में, एक पूरब में और एक पष्चिम में। पांच दिन में जहां से भी मिले पसीने की बूंद लेकर आओ। फौरन जाओ अभी। याद रखना यदि पसीने की बूंद लेकर नहीं आये तो मैं तो फांसी पर बाद में चढूंगा लेकिन पहले मैं तुम चारों को फांसी पर लटका दूंगा। जाओ।''

चारों दूत चारों दिषाओं में चले गये।

दूत भटकते रहे। पसीने की बूंद नहीं मिली। पसीना ना मिलने का मूल कारण यह था कि राजा के राज्य में सभी विलासिता में डूबे थे, धनी थे।

राज्य में कोई भी मेहनत नहीं करता था। सब कामचोर थे। आलसी थे।

पसीने की तलाष में भटकते–भटकते चारों दूतों को चार दिन बीत गये। निराष होकर चारों राज्य की तरफ लौट रहे थे। तभी एक नगर सेठ अपने सर पर एक गठरी रखकर ले जा रहा था। एक दूत ने पूछा ''तेरे सर पर क्या है सेठ?''

सेठ बोला–''मेरे खून पसीने की कमाई है।'' चारों दूत खुषी से उछल पड़े। चारों एक साथ बोले ''मिल गया पसीना।''

सेठ को पकड़कर वो राजमहल में महामंत्री के पास ले गये। एक दूत बोला–''महाराज इसके पास है पसीना।''

महामंत्री खुष होकर बोला ''इसे ले चलो महाराज के पास।''

तुरंत सेठ को लेकर महामंत्री राजा के पास पहुंच गया और बोला–''महाराज मिल गया पसीना–इस सेठ के पास है।''

राजा ने पूछा, क्यों नगर सेठ इस गठरी में क्या है?''

सेठ डरते–डरते बोला–''मेरे खून पसीने की कमाई है।''

''गठरी खोल कर दिखाओ''–राजा ने कहा।

सेठ ने डरते–डरते गठरी खोली तो राजा चौंक गया। उसमें रानी के गहने थे जो कुछ दिन पहले चोरी हो गये थे।

राजा क्रोध में बोले– ''ये तो चोरी के गहने हैं।''

''मुझे नहीं मालूम महाराज मुझे तो एक व्यक्ति बेच गया था।'' सेठ बोला।

राजा के क्रोध का ठिकाना न रहा। वो तिलमिला कर बोले– ''पूरे राज्य में दो बूंद पसीना नहीं मिला–फांसी का फंदा लाओ।''

दरबार के बीचों बीच फांसी का फंदा रखवाया गया।

पूरे दरबारी खड़े होकर डरे–डरे राजा की तरफ देख रहे थे।

राजा ने महामंत्री से पूछा ''बताओ फांसी पर किसे चढ़ाऊं?''

महामंत्री बोला ''महाराज मुझे चढ़ा दीजिये। मैं पसीने की दो बूंद नहीं ढूंढ सका।''

सेठ बोला ''फांसी पर मुझे लटका दीजिये महाराज मैंने चोरी का माल खरीदा।''

राजा ने आंख बंद करके चिल्लाकर कहा ''फांसी पर हम लटकेंगे।''

दरबारियों में हाहाकार मच गया।

राजगुरू बोले ''आप क्यों राजन? आपने क्या अपराध किया है।''

राजा बोले ''जिस राजा के राज्य में लोग श्रम करना भूल जाये, विलासी, आसली और निकम्में हो जायें–उस राज के राजा को जीने का अधिकार नहीं है।''

सब दरबारी षोर षराबा करने लगे।

महामंत्री बोला ''रूकिये महाराज। एक बार मुझे दरबारियों से कुछ पूछने की आज्ञा दें?''

राजा ने सिर झुका दिया।

महामंत्री ने पूछा ''आप सबके सहयोग से ही राजकाज चलता है–हमारे राजा फांसी पर चढ़ना चाहते हैं क्या राय है आपकी?''

सब दरबारी हाथ जोड़कर राजा से क्षमा याचना करते हुए बोले–''महाराज हमें क्षमा कीजिये। आप अपना निर्णय बदल लीजिए। हम षपथ लेते हैं हम आज से ही काम करेंगे। श्रम करेंगे। पूरे राज्य के लोगों को भी श्रम करने के लिए प्रेरित करेंगे। श्रम की रोटी खायेंगे।''

राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई।

राज्य के सभी लोग श्रम करने लगे। पसीना बहाने लगे।

रानी को पसीने की बूंद में मिलाकर दवा दी गई और रानी स्वस्थ हो गई।

देष के प्रसिद्ध नाटककार ''विजय तेंदुलकर'' की यह कहानी समाज के सामने बड़े प्रष्न खड़े करती है। सच पूछिये तो अपने हिस्से का श्रम किये बगैर हमें धरती के अन्न का एक दाना भी खाने का भी अधिकार नहीं है।

जरूरी है सभी लोग श्रम करें और श्रम का पूरा मोल भी लें।

श्रम का पूरा–पूरा मोल मिल सके इसके लिये ''श्रम कानून'' भी बने हैं जो श्रम का उचित मूल्यांकन करते हुए कामगारों के अधिकारों की रक्षा करते हैं।

आईये जानते हैं श्रम कानूनों को।

2. श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून

राजेन्द्र एक कपड़ा मिल में काम करता था। काम के दौरान उसका बांया हाथ एक मषीन में आने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। तुरंत अस्पताल ले जाया गया। महीनों में घाव तो ठीक हो गये लेकिन बांया हाथ काम करने लायक नहीं रहा। मनीश के पिता धनबाद की एक कोयला खदान में काम करते थे। कोयला खदान धसकने से उनकी मौत हो गयी। जसबीर अहमदाबाद के एक प्रासेस हाउस में काम करता था। कपड़ों की रंगाई करते समय एक आंख में कास्टिक सोड़ा गिरने से उसकी एक आंख हमेषा के लिए खराब हो गई। इस तरह की अनेक घटनाएं अक्सर घटती रहती हैं। ऐसी घटनाओं में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को लाभ पहुॅचाने में ''श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून'' काम आता है। श्रमिक प्रतिकार अधिनियम 1923 की धारा 3 के अंतर्गत यदि किसी श्रमिक को कार्य के समय या कार्य के दौरान क्षति पहुंची है तो क्षतिपूर्ति के लिए मालिक उत्तरदायी होगा।

क्या है इस कानून में?

प्रष्न : किसी कामगार की चोट या बीमारी के कारण मृत्यु हो जाये तो क्षतिपूर्ति कैसे होगी?

उत्तर : वारिसों को मुआवजा मिलेगा।

प्रष्न : वारिस में कौन–कौन आते हैं?

उत्तर :

- कामगार की विधवा।
- नाबालिग बच्चे।
- अविवाहित लड़कियां।
- विधवा मां।
- अपाहिज लड़का या लड़की, वह बालिग हो या नाबालिग।
- मृतक की कमाई से जुड़े निम्नलिखित कामगारों को भी मुआवजा मिलेगा–
  - पिता।
  - नाबालिग बच्चे।
  - नाजायज बच्चे।
  - विधवा बहू।
  - गुजरे हुए लड़के के नाबालिग बच्चे।
  - विधवा नाबालिग बहन।
  - अविवाहित बहन।
  - यदि मृतक के माता पिता न हो तो दादा–दादी।

मुआवजे के लिए क्षेत्र के 'श्रम अधिकारी', श्रम इन्सपेक्टर आदि से सलाह मिल जाती है कि मजदूर का काम कौन सी श्रेणी में आता है और मुआवजे के लिये क्या करता है।

प्रष्न : क्षतिग्रस्त होने पर वो कौन–कौन से कार्य हैं जिसके लिए मुआवजा दिया जाता है?

उत्तर :

- किसी लिफ्ट या अन्य वाहन पर सामान चढ़ाने–उतारने, या देखभाल का काम।
- रेल, डाकखानों या फैक्ट्रियों के काम।
- इमारत, बांध, सड़क, पुल, सुरंग आदि के बनाने, गिराने या देखभाल का काम।
- ट्यूबवैल की देख–रेख व सुधारने का काम।
- बिजली की देख–रेख का काम।
- ट्रैक्टर या अन्य यंत्रों से खेती का काम।
- किसी वस्तु को बनाने, बदलने, सुधारने, सजाने के लिए किसी ऐसी जगह के काम जहां 20 से ज्यादा लोग काम करते हों।

आप जो काम कर रहे हैं वह इस कानून में आता है या नहीं यह जानने के लिए पास के कानूनी सहायता केन्द्र (लीगल एड सेंटर) या कल्याण केन्द्र से सलाह और सहायता ले सकते हैं।

प्रष्न : किस तरह की चोटों के लिए मुआवजा मिल सकता है?

उत्तर : अंग कट जाना, आंखों की रोषनी चली जाना। इसके अलावा यदि चोट इतनी गंभीर है कि व्यक्ति के कमाने की षक्ति चली गई है तो भी मुआवजा दिया जायेगा।

प्रष्न : क्या फैक्ट्री से बाहर घटी दुर्घटना का भी मुआवजा मिलता है?

उत्तर : हां, यदि पीड़ित व्यक्ति उस वक्त ड्यूटी पर रहा है।

एक लड़का गोदाम में चाय देने का काम करता था। गोदाम के काम करने वालों के लिए वो चाय लेकर जा रहा था। पुलिस वालों को गोदाम के बाहर भीड़ पर काबू पाने के लिए गोली चलानी पड़ी जिससे चाय वाले लड़के की मौत हो गयी। मालिक की कोई गलती नहीं थी। फिर भी मालिक को उस लड़के के परिवार को मुआवजा देना पड़ेगा।

प्रश्न : कई जगह मजदूरों को काम ठेकेदारों के जरिए मिलता है। क्या ठेके पर रखे गये मजदूरों को मालिक से मुआवजा मिलेगा?

उत्तर : हॉ, ठेके पर रखे गये मजदूरों को भी मालिक से उपयुक्त कानूनी धाराओं के तहत मुआवजा मिलेगा।

प्रष्न : किन कारणों में मुआवजा नहीं मिलता?

उत्तर :

- चोट के कारण 3 दिन या उससे कम अवधि के लिए कार्य करने में अयोग्य हो।
- जब दुर्घटना नषीली वस्तु का सेवन करने से हुई हो।
- जब सुरक्षा के साधनों की श्रमिक ने जानबूझकर अनदेखी की हो।
- जब दुर्घटना काम के दौरान न हुई हो।

प्रष्न : चोट लगने पर कितना मुआवजा मिलता है?

उत्तर :

- मुआवजा कितना मिलेगा यह चोट पर निर्भर करता है। अगर चोट गंभीर होगी तो मुआवजा ज्यादा मिलेगा।
- मुआवजे की रकम इससे तय की जाती है कि चोट लगने के समय वह कितना कमाता था।
- अगर काम करने वाले की उम्र कम थी तो ज्यादा मुआवजा मिलेगा क्योंकि उसकी ज्यादा लम्बे समय की कमाई का नुकसान हुआ है।

- यदि नौकरी छोड़ने के दो वर्श के भीतर ही कामगार को बीमारी लग जाती है तो मालिक को मुआवजा देना पड़ेगा। बीमारी जैसे : कैंसर, टी.बी., दमा, मोतियाबिंद, सुनने की षक्ति चले जाना आदि।

प्रश्न : मुआवजा लेने के लिए क्या करना होगा?
उत्तर :

- दुर्घटना के तुरंत बाद मालिक को एक सूचना पत्र (नोटिस) देना होगा।
- नोटिस में नाम, चोट का कारण, दुर्घटना की तारीख ये सभी बातें षामिल होंगी।
- कमिष्नर को एक अर्जी देना होगी।
- अर्जी दुर्घटना के दो साल के अंदर या कामगार की मौत के दो साल के अंदर देनी होगी।

प्रष्न : काम करते समय किसी महिला श्रमिक को चोट लग जाती है या मृत्यु हो जाती है तो मुआवजा कैसे मिलेगा?
उत्तर :

- यदि किसी महिला कामगार को चोट लगती है और उसे मुआवजे की रकम इकट्ठी दी जा रही है तो वह रकम कमिष्नर के द्वारा ही दी जा सकती है।
- अगर कामगार की मृत्यु हुई हो तो भी मालिक मृतक के रिष्तेदारों को सीधा मुआवजा नहीं दे सकता। कमिष्नर के पास रकम जमा की जायेगी। कमिष्नर ही कामगार के रिष्तेदारों को पैसा देगा।

प्रष्न : कई बार मालिक मजदूर की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे लिखवा लेते हैं कि दुर्घटना के लिए मालिक जिम्मेदार नहीं है तो क्या मृतक के वारिसों को न्याय मिलेगा?
उत्तर : बिल्कुल मिलेगा। इस तरह लिखवाया गया समझौता मान्य नहीं है। दुर्घटना घटने पर कुछ जरूरी बातें याद रखें। डॉक्टरी जांच करायें। हो सके तो सरकारी डॉक्टर से करायें। डॉक्टर से रिपोर्ट की कापी भी ले लें। पास के थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराकर उसकी नकल ले लें। अगर थाने जाना संभव न हो तो किसी को भेजकर एफ.आई.आर. दर्ज जरूर करायें। मुआवजा लेने के लिए डॉक्टरी रिपोर्ट और गवाहों का होना बहुत जरूरी है। मृत्यु के मामले में कम से कम रू0 1,20,000/– तथा पूरी तरह या स्थाई अपंगता के मामले में कम से कम रू0 1,40,000/– तो होने ही चाहिये।

3. अन्तर राज्यिक प्रवासी मजदूर कानून

अक्सर देखा गया है कि वे लोग जिनके पास आजीविका चलाने के लिए अपने खुद के साधन नहीं हैं उन्हें मजदूरी पर निर्भर रहना पड़ता है। गांव में काम न मिलने पर काम की तलाष में गांव से बाहर जाना पड़ता है। कभी इस षहर तो कभी उस षहर। कभी इस राज्य में तो कभी दूसरे राज्य में। फसल के समय तो बाहर काफी काम मिल जाता है। काम की तलाष में दूसरे राज्य में जाने वाले लोगों को ''प्रवासी मजदूर'' कहते हैं। ऐसे लोगों को अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ने एक कानून बनाया है जिसे ''अन्तर राज्यिक प्रवासी मजदूर अधिनियम, 1979'' कहते हैं।

फसल कटाई के समय कई बार तो दूसरे राज्यों के ठेकेदार काम कराने के लिए अपने राज्य से बाहर के मजदूरों को भर्ती करके ले आते हैं। देखने में आया है कि दूसरे राज्यों में जाकर सीधे–सादे मजदूरों का कई बार षोशण भी होता है। मजदूरी कम मिलती है। अन्य सुविधाएं जो मिलनी चाहिये वो भी नहीं मिलती। हालांकि इन परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार ने नियम कानून बनाये हैं लेकिन पढ़े–लिखे न होने और जागरूकता के अभाव में मजदूरों को अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है। आईये जानते हैं प्रवासी मजदूरों के हित में कानून क्या कहते हैं–

प्रष्न : दूसरे राज्य से आया यदि कोई ठेकेदार मजदूरों को काम पर ले जाने के लिए बात करता है तो क्या ठेकेदार से मिलकर काम पर जाना चाहिये?
उत्तर : हां, जरूर जाना चाहिये। लेकिन उसके साथ जाने से पहले यह सुनिष्चित कर लें कि वह असली ठेकेदार है या नहीं?

प्रष्न : यह पता कैसे चलेगा?
उत्तर : जो भी ठेकेदार दूसरे प्रदेष से 5 या उससे अधिक मजदूरों को भर्ती करके ले जाना चाहता है उसके पास प्रदेष की सरकार का दिया हुआ लाइसेंस होना चाहिये जिसमें वैधता की तारीख और मजदूरों की भर्ती की संख्या भी लिखी होगी। मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेष का ठेकेदार उत्तराखण्ड से मजदूरों को अपने यहां ले जाना चाहता है तो उसके पास उत्तराखण्ड सरकार का लाइसेंस होना चाहिये।
प्रष्न : क्या ठेकेदार के साथ ले जाने के लिए हमें कोई भी कागज या अनुबंध पत्र देता है?
उत्तर : हां, ठेकेदार एक पासबुक देता है जिसमें ये सब बातें होनी चाहिये–

- फोटो।
- नाम।
- काम की जगह।
- जब तक काम होगा उसकी तारीख।
- मजदूरी की दर।
- मजदूरी देने की तारीख।
- विस्थापन भत्ता।
- वापसी किराये की दर।
- कटौती (यदि की गई हो) और अग्रिम राषि/एडवांस (लिया हो तो)।
- भर्ती की तारीख और काम षुरू करने की तारीख।
- हाजिरी और काम की जानकारी।
- नजदीकी रिष्तेदार का नाम और पता।

प्रष्न : विस्थापन भत्ता क्या होता है?
उत्तर : अपना प्रदेष छोड़कर दूसरे प्रदेष में काम के लिए जाने वाले मजदूर को दूसरे राज्य में जाने के लिये कुछ अलग से पैसे दिये जाते हैं जो ''विस्थापन भत्ता'' कहलाता है।
प्रष्न : यह भत्ता कितना मिलता है?
उत्तर : एक महीने की मजदूरी का आधा।
प्रष्न : क्या आने–जाने का किराया भी ठेकेदार देगा?
उत्तरः हां।
प्रष्न : यदि कुछ समय बाद ही काम से हटा दिया जाता है तो कितने पैसे वापस करने पड़ेंगें?
उत्तर : नहीं। अगर ठेकेदार तय किये गये समय से पहले ही काम से छुट्टी कर देता है तो भी विस्थापन भत्ता और वापसी के टिकिट के पैसे नहीं लौटाने पड़ेंगे।
प्रष्न : पासबुक में नजदीकी रिष्तेदार का नाम और पता क्यों लिखवाया जाता है?
उत्तर : काम करते समय कई बार गंभीर दुर्घटना भी घट जाती है। उससे कभी कभी गंभीर चोट लग सकती है या जान भी जा सकती है। ऐसी हालत में ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि वह तुरंत ही कामगार के नजदीकी रिष्तेदार और सरकार को सारी जानकारी तार द्वारा भेजें। मौत हो जाने पर नजदीकी रिष्तेदार को कानून के मुताबिक मुआवजे की रकम दी जाएगी।
प्रष्न : क्या हर प्रदेष में न्यूनतम मजदूरी एक समान है?
उत्तर : नहीं। हर प्रदेष की न्यूनतम मजदूरी राज्य षासन द्वारा निर्धारित होती है और ये अलग–अलग होती है परंतु महिला और पुरूश को एक समान मजदूरी दी जाती है।
प्रष्न : क्या मिलने वाली मजदूरी में कोई कटौती की जाती है?
उत्तर : नहीं। हर महीने में कम से कम एक बार मजदूरी नकद मिलती है। मजदूरी मिलते समय जिसका काम कर रहे हो उसे वहां होना चाहिये। साथ ही मालिक यह लिखकर भी देगा कि उसके सामने मजदूरी दी गयी। मिलने वाली मजदूरी में सिर्फ सरकार द्वारा तय की गई कटौतियां ही हो सकती हैं और कुछ नहीं।

प्रष्न : जब कोई अपने गांव से दूसरे प्रदेष में काम करने जाता है तो क्या यात्रा में लगने वाले समय का भुगतान मिलता है?
उत्तर : मिलता है।
प्रष्न : यदि ठंडे प्रदेष में मजदूरी करने जाना हो तो क्या ठेकेदार ठंड से बचने को गर्म कपड़ों की व्यवस्था भी करता है?
उत्तर : हां।
प्रष्न : दूसरे प्रदेष में घर–गृहस्थी के रख रखाव और जीवन यापन की दूसरी सुविधायें क्या–क्या मिलती हैं?
उत्तर :

- मकान।
- डॉक्टरी सुविधा।
- अस्पताल में भर्ती होने पर दवा, खाने–पीने और आने–जाने का खर्च।
- पीने का पानी, कपड़े धोने की सुविधा।
- षौचालय।
- कैन्टीन।
- 20 से ज्यादा औरतें यदि तीन महीने से ज्यादा समय के लिए काम करती हैं तो बच्चों के लिए बालवाड़ी की सुविधा।

प्रश्न : इतनी सारी सुविधायें मिलेंगी इसकी क्या गारंटी है?
उत्तर : कोई व्यक्ति या संस्था यदि दूसरे प्रदेष से आने वाले 5 या उससे अधिक मजदूरों से काम लेती है तो सरकार उनका पंजीकरण करती हैं ठेकेदार को एक लाइसेंस भी लेना पड़ता है। पंजीकरण और लाइसेंस देते समय सरकार यह आष्वासन लेती है कि कानून का पूरी तरह पालन किया जायेगा और उक्त सुविधायें दी जायेंगी। ठेकेदार या मालिक यदि सुविधाएं नहीं देगा तो ठेकेदार का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा।
प्रष्न : काम से जुड़ी कोई षिकायत हो तो कहां करेंगे?
उत्तर : काम की जगहों पर सरकार की तरफ से लेबर इंस्पेक्टर और लेबर ऑफिसर भेजे जाते हैं। यदि सुविधायें नहीं मिल रही हैं तो उनसे षिकायत की जा सकती है।
प्रष्न : यदि उस प्रदेष के ठेकेदार या लेबर अफसर भी मजदूरों की नहीं सुनते हैं तो क्या किया जाए?
उत्तर : मजदूरों के अपने प्रदेष का अफसर भी काम की जगह आकर जांच कर सकता है। दूसरे प्रदेष जाने से पहले अच्छा यही है कि अपने जिले के लेबर इंस्पेक्टर को जाने की जानकारी दे दी जाये।
प्रष्न : यदि दूसरे प्रदेष में जाकर एक मालिक के यहां भरपूर काम नहीं मिलता तो क्या दूसरे काम ढूंढ सकते हैं?
उत्तर : हां। लेकिन एक बार यदि ठेकेदार का काम छोड़ दिया तो ''प्रवासी मजदूर कानून'' लागू नहीं होगा। नये मालिक पर कानून में बतायी गई सुविधाएं देने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। हां न्यूनतम मजदूरी और दुर्घटना होने पर दिये जाने वाले मुआवजे और दूसरे मजदूर कानूनों के फायदे तो मिलेंगे।
प्रष्न : मालिक और ठेकेदार का अपने प्रदेष में दबाव रहता है। यदि वे कानूनों का पालन नहीं करते तो बाहर से आाये मजदूर क्या कर सकते हैं?
उत्तर : यदि काम करने वाले प्रदेष में कानूनों का उल्लंघन किया जाता है तो मजदूर अपने गांव लौटकर 6 महीने के अंदर संबंधित अधिकारी को षिकायत कर सकता है। षिकायत का केस मजदूर के प्रदेष में ही लड़ा जायेगा।

4. ठेका मजदूरी

''ठेकेदारी'' षब्द से सभी परिचित हैं। बहुत से काम ठेकेदारी पर कराये जाते हैं। ठेकेदार काम कराने के लिए मजदूरों को श्रम पर रखता है। वो मजदूरों के हित में काम अपने आर्थिक लाभ की तरफ ज्यादा सोचता है। अक्सर कम मजदूरी देकर ज्यादा काम कराया जाता है। मजदूर गरीबी के कारण कम पैसों में ही काम करने को मजबूर हो जाते हैं। विरोध करने पर काम से निकाले जाने का भी डर रहता है। मजदूरों की इस विवषता को समझते हुए एक कानून बनाया गया है जिसका नाम है ''ठेकाश्रम (विनिमय और उत्पादन) अधिनियम, 1970''

इस कानून का कहना है–

- मालिक यदि मजदूरों को ठेकेदार के जरिये काम पर रखता है तो मालिक का पंजीकृत होना जरूरी है।
- किसी मालिक को कोई ठेकेदार 20 या उससे ज्यादा मजदूर तभी दे सकता है जब उसके पास आज्ञा–पत्र या लाइसेंस हो।

वह मालिक या ठेकेदार जो पंजीकृत हैं या जिसके पास लाइसेंस/आज्ञा–पत्र है उसे मजदूरों की भलाई के लिए जिम्मेदार माना गया है। अगर मजदूरों द्वारा उनके खिलाफ षिकायत की जाती है तो सरकार उनको ही मजदूरी और सुविधायें देने के लिए मजबूर कर सकती है।

ठेकेदार से मजदूरों को मिलने वाली सुविधाएं

- काम षुरू होने के सात दिनों के अंदर ठेकेदार को मजदूरों के लिए ये सुविधायें देनी होंगी–
- पीने का पानी।
- साफ–सफाई।
- पर्याप्त संख्या में षौचालय और मूत्रालय।
- प्राथमिक चिकित्सा।
- छः साल से छोटे बच्चों के लिए ठेकेदार को कम से कम दो कमरे देने होंगे। एक कमरा बच्चों के खेलने के लिये और दूसरा सोने के लिए। बच्चों को खेलने के लिए खिलौनों की व्यवस्था भी ठेकेदार को करनी होगी।
- काम यदि तीन महीने एक ही स्थान पर किया जाना है और मजदूरों को कार्यस्थल पर ही रहना पड़े तो ठेकेदार को आराम के लिए कमरे या घर का प्रबंध करना होगा। काम षुरू होने के 15 दिन में इसकी व्यवस्था होना जरूरी है।
- कमरे ऐसे हों जो गर्मी, हवा और बरसात से बचाव कर सकें।
- कमरे का फर्ष चिकना हो और अच्छा हो।
- कमरे में पीने के पानी का प्रबंध हो।
- विश्राम का कमरा कार्यस्थल के पास ही हो।
- महिलाओं के लिए अलग कमरों की व्यवस्था होना चाहिये। कमरों में समुचित हवा और प्रकाष की व्यवस्था हो।
- काम यदि 6 महीने तक चलता है और 100 या उससे ज्यादा काम करने वाले मजदूर हैं तो ठेकेदार को एक कैन्टीन या भोजनालय का प्रबंध करना होगा जिसमें उचित मूल्य पर खाने–पीने का सामान मिलना चाहिये।
- कैन्टीन में खाने के लिए बड़ा कमरा, रसोई, भंडार घर और बर्तन धोने की जगह जरूर होना चाहिये।
- फर्ष साफ–सुथरा होना चाहिये।
- कैन्टीन में सफाई होना चाहिये।
- नालियां ढकी होना चाहिये।
- कूड़ा–करकट फेंकने का निर्धारित स्थान होना चाहिये।

- खाने के कमरे का एक हिस्सा महिलाओं के लिए होना चाहिए।
- पर्याप्त बर्तन, मेज, कुर्सी होने चाहिये।
- कैन्टीन कर्मचारियों को साफ–सुथरा रखना चाहिये।
- अगर इन सुविधाओं की व्यवस्था ठेकेदार नहीं करता है तो मालिक को इसका प्रबंध करना होगा।

प्रष्न : मजदूरी कब, कैसे और कितनी मिलना चाहिये?

उत्तर :

- मजदूरी, महीने में कम से कम एक बार जरूर मिलनी चाहिये।
- मजदूरी नकद मिलनी चाहिये।
- मजदूरी में कोई कटौती नहीं की जायेगी।
- मजदूरी देते समय मालिक का एक प्रतिनिधि भी वहां होना चाहिये।
- मजदूरी देने की जिम्मेदारी ठेकेदार की है।

अगर ठेकेदार मजदूरी नहीं देता है तो क्या मालिक से मजदूरी की मांग की जा सकती है?

- 'न्यूनतम' मजदूरी सरकार द्वारा तय की गई निर्धारित धनराषि है। मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होना चाहिये। हां उससे अधिक हो सकती है।
- अक्सर देखने में आता है कि ठेकेदार मजदूरी में से अपना कमीषन काटकर मजदूरी देता है। यह गलत है। इस तरह काम करने वालों को वास्तव में 'न्यूनतम मजदूरी' मिल ही नहीं पाती। ठेकेदार को कमीषन मालिक देता है। इसलिए मालिकों को ठेकेदार को मजदूरी से अधिक देना चाहिये ताकि ठेकेदार मजदूरों को पूरी मजदूरी दे सके।
- मजदूरों की दिहाड़ी में से ठेकेदार कमीषन नहीं काट सकता।
- मालिक के अपने मजदूर जितना घंटा काम करते हैं ठेके के मजदूरों से उतने ही घंटे काम लिया जा सकता है। स्थाई कर्मचारियों की तरह ठेके पर काम करने वाले मजदूर भी छुट्टियों के हकदार हैं।

यदि ठेकेदार मजदूरी और सुविधाएं कानून के मुताबिक नहीं देता है तो श्रम अधिकारी या श्रम इंस्पेक्टर के पास रिपोर्ट लिखवाकर हक लिया जा सकता है।

5. बंधुआ मजदूरी

श्रम, मानव सभ्यता का आभूशण है परंतु जब कभी हम बलात् श्रम (जबरिया मजदूरी) अथवा बंधुआ मजदूरी की घटनाएं देखते हैं, तब हमारे इस आभूशण की चमक षोशण के धब्बों में खो जाती है। सभ्य समाज में प्रत्येक मनुश्य की समता पूर्ण गरिमा ही स्थायी विकास का आधार होती है। किसी समय में मानवों की खरीद–बिक्री हुआ करती थी। समय बदला, सोच बदली और धीरे धीरे कई सौ वर्शो के सतत संघर्श के बाद लगभग सारी दुनिया में ऐसी परंपराओं को समाप्त किया जा सका। जब जिस तरह आर्थिक प्रगति हुई उसी रफ्तार से षोशण ने भी अपना रूप और षैली बदली। बढ़ती गई निर्धनता से उपजी, लाचारी और अमानवीय षर्तों पर भी काम खोजने की विवषता। तीन पीढ़ी पीछे पचास रूपये के कर्ज के बदले एक परिवार के सभी सदस्यों की आजन्म मजदूरी की बात षायद आज कुछ अविष्वसनीय सी लगे पर भारत के हर हिस्से में ये षोशण का तरीका न केवल मौजूद है बल्कि कुछ हद तक रीति रिवाजों का हिस्सा बन गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधे पेट भोजन के बदले जमीदारों के खेतों में काम करते श्रमिक हों या दहेज के पैसों के आष्वासन में कपड़ा मिलों में काम करती जवान लड़कियां हों, या फिर लगातार बढ़ते निर्माण (कन्सट्रक्षन) क्षेत्र हेतु ईंट भट्टें में झुलसते परिवार। इन सभी में आज भी बंधक श्रम न केवल जिंदा हैं बल्कि अपने नए अवतारों के साथ आधुनिक अर्थ व्यवस्था का फायदेमंद साझेदार भी बन गया है। यह एक सामाजिक आर्थिक समस्या है।

निर्धनता एवं उससे उपजी ''ऋण'' आधारित बंधक श्रम के दो और प्रमुख कारण हैं:–

- पीड़ित व्यक्ति को बंधक श्रम संबंधी कानूनी जानकारी का अभाव।
- जानकारी के पष्चात् भी कानूनों का लाभ लेने के लिये साहस का अभाव।
- केवल मारपीट या बांध कर रखे जाने पर ही बंधुआ मजदूरी नहीं कहलाती बल्कि कई अन्य षोशक परिस्थितियों को भी बंधक श्रम की श्रेणी में रखा गया है।

बंधुआ मजदूर कौन हो सकता है?

- ➢ किसी कारण हेतु लिये गये कर्ज (ऋण) के श्रम द्वारा भुगतान करने वाला बाध्य श्रमिक।
- ➢ गिरवी रखे भूखण्ड को छुड़ाने के लिये बाध्य श्रम करता हुआ व्यक्ति।
- ➢ आवष्यकता पड़ने पर अनाज के उधार को मजदूरी से चुकाने हेतु बाध्य व्यक्ति।
- ➢ किसी जाति विषेश के होने के कारण जबरन श्रम करता व्यक्ति।
- ➢ किसी कार्य विषेश (कारखाना, खदान, ईंट भट्ठा) हेतु अग्रिम भुगतान के बदले बाध्य श्रम करता व्यक्ति।

- सामाजिक रूप से बंधुआ मजदूरी के प्रचलित नामकरण जिनमें से कुछ नाम आपने भी सुने होंगें:–
- बाहरमसिया, कमिया, कुठिया, भगेला, गरूगालू, हाली होल्या, जना, जीठा, खुंडित–मुंडित, लखड़ी, मुंझी, पलेरू, सुमंगली, नित मजूर, संजावत, सेवक, सेरी, वेट्टी आदि।

कानून क्या कहता है?

बंधक श्रम (उत्सादन) प्रथा अधिनियम, 1976 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के बंधक श्रम/बंधुआ मजदूरी को गैर कानूनी ठहराया गया है, साथ ही यह एक दण्डनीय अपराध भी माना गया है। इस कानून के लागू होने के साथ समस्त बंधुआ मजदूर स्वतंत्र एवं मुक्त घोशित किये गये हैं। वे सभी ऐसे कार्यों से मुक्त हैं जिनके लिये उन्हें बंधुआ मजदूर रखा गया था। वे उन सभी परंपराओं, ऋण/कर्जे, अग्रिम भुगतान के पालन/अदायगी से भी मुक्त हैं जिनके कारण उन्हें बंधुआई में जाना पड़ा था। इस सिलसिले (बंधुआ मजदूरी) में लंबित सारे मुकदमों से भी उन श्रमिकों को मुक्त घोशित किया गया। ऐसा कोई भी समझौता/करार/अनुबंध वैध नही माना जाएगा जो किसी भी व्यक्ति से बंधुआ/जबरिया मजदूरी करवाता हो। ऐसा करने पर जमीदार/ठेकेदार को अधिकतम 3 वर्श तक का कारावास और रू0 2000/– तक के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जा सकता है।

कोई बंधुआ मजदूरी का षिकार कैसे बन जाता है?

- आवष्यकताओं (अनाज, बीज, खाद, बीमारी, षादी, श्राद्ध आदि) के खर्च के लिये जमींदार/ठेकेदार से कर्जा लेकर चुका न पाने की स्थिति में ऋणदाता द्वारा जबरिया मजदूर बनाने पर। (इसे ऋण बंधत्व/डेब्ट बांडेज कहते हैं)
- अपने गांव/कस्बे में रोजी रोटी की व्यवस्था न होने के कारण दूसरे षहरों/राज्यों में ठेकेदारों द्वारा कम मजदूरी पर काम कराने तथा जबरिया मजदूर बनाने के बाद उनकी आवाजाही रोकने पर। (यह भी एक प्रकार का ऋण बंधत्व है)
- अधिक मजदूरी के प्रलोभन में बिना विचारे कार्य की षर्तों को स्वीकार करने पर बाद में आवाजाही अवरूद्ध कर जबरिया श्रम कराने पर। (इसे कैच बांडेज कहते हैं)
- माता पिता/पुरखों द्वारा लिये गये ऋण की अदायगी के बदले मजदूरी करने पर। (यह भी एक प्रकार का ऋण बंधत्व है)
- किसी जाति विषेश की परंपरा के बलात पालन हेतु करवाया जाने वाला श्रम। (इसे जाति जन्म बंधत्व या कास्ट बांडेज कहा जाता है)
- यह भी बंधुआ मजदूरी है:–
- किसी भी इच्छा के विरूद्ध उससे मजदूरी कराना।
- उधार या ब्याज की अदायगी के लिये जबरिया मजदूरी।

- एडवांस/अग्रिम ऋण के बदले जबरिया मजदूरी।
- अपनी इच्छा की षर्तों पर काम ढूंढने और करने की पाबंदी।
- ऋण भुगतान के लिये षारीरिक रूप से अवरूद्ध या बंदी बनाना।
- नाम मात्र मजदूरी या केवल भरण पोशण के लिये जबरिया मजदूरी।

अरे मैं तो बंधुआ मजदूरी में फंस गया हूं। अब मैं क्या करूं?

अगर आप किस भी प्रकार की बंधुआ मजदूरी के षिकार हैं तो घबरायें नहीं, हमारा कानून और हमारा प्रषासन आपके साथ है। आइए जानते हैं ऐसी स्थिति में आपके क्या अधिकार हैंः–

- आप से करवायी जा रही बंधुआ मजदूरी दण्डनीय अपराध है एवं ऐसा करवाने वाले व्यक्ति को 3 वर्श तक की सजा और रू0 2000/– जुर्माना हो सकता है।
- आप तत्काल प्रभाव से समस्त बंधत्व से मुक्त है और जिस उधार के बदले मजदूरी कर रहे थे उसे लौटाना नही पड़ेगा।
- अगर ऐसी किसी कर्ज वसूली का मुकदमा चल रहा है तो उससे भी आप को मुक्ति मिल जाएगी।
- अगर उधार के बदले कोई संपत्ति (जमीन, जेवर, सामान, जानवर) जब्त या गिरवी रखी गई है तो वह भी वापस कर दी जाएगी। ऐसा होने के बाद भी अगर ऋण दाता अपने पैसों की वापसी हेतु दबाव डालता है तो उसे रू0 2000/– का जुर्माना और 3 साल की कैद हो सकती है।
- कर्जे के बदले आपको या आपके परिवार जन को अगर बंधक बनाया या मुक्त आवागमन रोका जा रहा हो तो आपको मुक्त कराने का भार प्रषासन पर है।
- मजदूरी के दौरान मिले छौर–छप्पर से बेदखल नहीं किया जा सकता।

बंधुआ मजदूरी के षिकार होने का ज्ञान होने पर यह करें–

- स्वयं अथवा किसी सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से अथवा ग्राम पंचायत आदि के द्वारा इस बात की षिकायत संबंधित अधिकारी (तहसीलदार, थाना, प्रभारी, जिला मजिस्ट्रेट) से करें।
- जहां तक संभव हो अपने षोशण का सिलसिलेवार ब्यौरा तैयार रखें। बतायी गई मजदूरी से कम मिलने का हिसाब रखें ताकि आपकी षेश मजदूरी वापस दिलवायी जा सके।
- अधिक से अधिक लोगों (साथी पीड़ितों) को जागरूक कर समूह रूप में षिकायत करें।
- अगर प्राण हानि की आषंका हो तो अविलंब स्थानीय पुलिस थाने में षिकायत करें एवं अपने मूल स्थान पर मित्रों, परिजनों आदि को सूचित करें।

कानून आपके लिये यह करेगाः–

- षिकायत प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट अथवा इसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बंधक मजदूरी प्रकरण की जांच एवं पीड़ित श्रमिकों की तत्काल मुक्ति की व्यवस्था की जाएगी।
- स्थानीय जिला कलेक्टर द्वारा समस्त छुड़ाये गये पीड़ित श्रमिकों को 'रिहाई प्रमाण पत्र' दिये जाएंगे।
- श्रमिकों के षेश भुगतान हेतु नियोक्ता पर कार्यवाही एवं बंधक श्रम सिद्ध होने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- कार्य स्थल से मूल स्थान तक यात्रा की व्यवस्था की जाएगी।
- षासन द्वारा निर्धारित पैकेज के अंतर्गत पुनर्वास हेतु सहायता राषि दी जाएगी।
- मुक्त बंधुआ मजदूरों हेतु केन्द्र द्वारा पुनर्वास योजनाएंः–
  - ➢ प्रत्येक मुक्त बंधुआ मजदूर को पुनर्वास सहायता के रूप में रू0 25000/– (अथवा राज्य में तय राषि) की राषि दी जाती है।

➢ षासन द्वारा क्रियान्वित अन्य लाभकारी योजनाओं जैसे मनरेगा (रोजगार गारण्टी अधिनियम), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, आदिवासी विकास योजना आदि का भी लाभ लिया जा सकता है।

बंधुआ मजदूरी से कैसे बचें?

- जहां तक संभव हो स्थानीय ग्राम पंचायत या सामाजिक संस्था से बंधुआ मजदूरी, पलायन, ठेका मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी, प्रवासी श्रमिक आदि के विशय में स्पश्ट जानकारी प्राप्त करें।
- अपने ही क्षेत्र में स्वरोजगार, मनरेगा आदि के माध्यम से आर्थिक आधार सुदृढ़ करें एवं ऋण पर आश्रित जीवन षैली का त्याग करें।
- आकस्मिक आवष्यकताओं की स्थिति में स्व–सहायता समूहों से जुड़ें एवं अपने समूह से ही ऋण व्यवहार करें। षादी–ब्याह एवं मृत्यु संस्कारों पर व्यर्थ का खर्च न करें।
- अपने भोजन एवं आचार व्यवहार को संतुलित रखें तथा व्यसन पर संभावित व्यय को सीमित करें।
- स्वयं जागरूक रहें और अपने परिवेष को बंधत्व मुक्त रखें।

6. कहानी – अधिकार

हरिया एक दाल मिल में काम करता था। सुबह 8 बजे काम पर पहुंच जाता था। रात के 8 बजे तक काम करता रहता। मिले के पढ़े–लिखे कामगारों से उसे मालूम चला कि मिल में काम का समय षाम 5 बजे तक ही होता है। 5 बजे के बाद अतिरिक्त समय का कोई पैसा नहीं मिलता था।

एक दिन हरिया ने अपने सुपरवाइजर से पूछ ही लिया।

हरिया बोला ''सर हम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करते हैं। हमें ओवर टाइम तो मिलना ही चाहिये।''

सुपरवाइजर बोला ''ज्यादा नेतागिरी मत करो। यहां बरसों से ऐसा ही होता आया है। काम करना है तो करो नही तो दूसरा काम ढूंढ लो।''

हरिया कुछ न बोला मन मसोसकर रह गया।

मिल में दोपहर के भोजन का समय हो गया। हरिया ने सुपरवाइजर के साथ हुई बात की चर्चा अपने साथियों से की।

हरिया के सभी साथियों की भी वहीं समस्या थी जो हरिया की थी। नौकरी छूट जाने के डर से कोई इन अन्याय के विरोध में आवाज तक नहीं उठाता था।

एक साथी रामू बोला ''मैंने सुना है कि कानून में तो बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं जिनका पालन मिल मालिक नहीं करता। हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलना चाहिए, नहीं मिलती। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय की हुई है पता नहीं कितनी है? हमें पूरी मजदूरी मिलती भी है या नहीं?''

हरिया बोला ''हमें तो यह भी नहीं मालूम की कानून की पूरी जानकारी कहां मिलती है? यदि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो उसकी षिकायत कहॉ करें।''

पास में बैठा गोपाल सब सुन रहा था। वह मिल के मजदूर संगठन का कार्यकर्ता था।

गोपाल उनके पास जाकर बोला ''इसीलिए मैं सब मजदूरों से कहता रहा हूं। संगठन के दफ्तर में आया करो। अपने अधिकारों को जानो। संगठन तुम्हारी ताकत है। तुम्हारी मदद के लिए है।''

हरिया और उसके साथियों के चेहरों पर एक नई चमक आ गई।

आईये अब जानते हैं श्रम कानून किस तरह मजदूरी के हितों की रक्षा करते हैं।

अपने देष में आजादी के बाद गरीब एंव मजूदरों के हितों की रक्षा के लिए भी कानून बनाया गया है।

इस कानून को न्यूनतम मजदूरी कानून कहते हैं। कई बार गरीब, अनपढ़, मासूम मजदूरों से काम करा लिया जाता है। काम जैसेः खेत में, सड़क बनाने में, मकान बनाने में, तंबाकू या बीड़ी

कारखाने में, ईंट भट्टों, पत्थर तोड़ने, फैक्ट्री कारखाने में, दुकान धंधे में कार्यक्रम की तैयारी आदि में लेकिन दिहाड़ी या मजदूरी के एवज में या तो पैसा दिया ही नहीं जाता है या कम दिया जाता है। अनपढ़ एवं असंगठित होने से इनका षोशण किया जाता है।

7. न्यूनतम मजदूरी कानून

न्यूनतम मजूदरी कानून में कुछ पहले से तय कामधंधों में मजदूरी की दरें तय की जाती हैं। कामधंधों की लिस्ट भी बनती है कि किन कामधंधों के मजदूरों को कितनी मजदूरी मिलना चाहिये। केन्द्र या राज्य की सरकार मजदूरों के लिए पांच साल में एक बार मजदूरी दरें तय करती है।

प्रश्न : मजदूरी का क्या मतलब है?

उत्तर : इस अधिनियम के अनुसार 'मजूदरी' का अर्थ उस धन से है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किये गये श्रम के बदले प्राप्त होती है। मजदूरी में नीचे लिखे सभी बिन्दु षामिल हैं–

- न्यायालय के आदेष या समझौते के तहत दी गई रकम।
- अतिरिक्त समय, या छुट्टी में किये गये काम के लिए दी गई रकम।
- बोनस या इस तरह की कोई भी रकम।
- मजदूर को सेवाएं समाप्त होने पर उसे दी गई रकम।
- किसी कानून या उसके तहत बनाई गई किसी योजना के अंदर दी गई रकम।

प्रष्न : मजदूरी में क्या–क्या नहीं आता?

उत्तर :

- कोई बोनस, चाहे किसी लाभ में हिस्सा देने की कोई योजना के अंदर हो या कोई अन्य भुगतान जो काम पूरा होने पर मिलने वाली मजदूरी का हिस्सा न हो।
- कोई भी आवास, बिजली, पानी, दवाई या अन्य सुविधाएं या किसी ऐसी सेवा का मूल्य जो राज्य सरकार के आदेष के अंतर्गत मजूदरी से अलग रखी गई हो।
- पेंषन या भविश्य निधि में मालिक का योगदान और उस पर मिलने वाला ब्याज।
- कोई भी यात्रा भत्ता या यात्रा में छूट।
- किसी मजदूर को उसके काम की प्रकृति के अनुसार दिया जाने वाला अतिरिक्त पैसा। उदाहरण जैसे किसी मजदूर को किसी विषेश मषीन चलाने में होने वाले खतरे के लिए जो अतिरिक्त पैसा दिया जाता हो।
- सेवाएं समाप्त होने पर मजदूर को मिलने वाली ग्रेच्युटी (उपदान) आदि।

प्रष्न : कर्मचारी कौन है?

उत्तर : इस अधिनियम के अंतर्गत वह व्यक्ति कर्मचारी माना जाता है जो भाड़े पर या इनाम के लिये कुषल या अकुषल कार्य षारीरिक या लिपिकीय कार्य करता है जिसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जा चुकी हो। इसमें वह बाहरी मजदूर भी आते हैं जो किसी भी प्रकार के परिसर में निम्नलिखित कार्य करते हैं–

- किसी वस्तु को बनाने का कार्य।
- साफ–सफाई करने का कार्य।
- मरम्मत का कार्य।
- वस्तु को बेचने का कार्य।
- हाथ से किया गया लिखा–पढ़ी का कार्य (लिपिकीय कार्य)।

प्रष्न : नियोजक/मालिक कौन होता है?

उत्तर :

- इस अधिनियम में नियोजक या मालिक वह व्यक्ति कहलाता है जो किसी कर्मचारी को कोई कार्य करने के लिए स्वयं या दूसरे के द्वारा उन प्रतिश्ठानों में कार्य पर लगाता है जिन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू होता है।
- इसके अतिरिक्त कोई भी मैनेजर या फैक्ट्री का मालिक।
- कोई भी ऐसा कार्य जिसका नियंत्रण सरकार के हाथों में है। वहां पर सरकार द्वारा नियंत्रण एवं देखरेख के लिए नियुक्त व्यक्ति मालिक कहा जाएगा। जहां ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हुई है वहां उस विभाग का प्रधान अधिकारी मालिक कहा जायेगा।

प्रष्न : न्यूनतम मजदूरी कौन तय करता है?
उत्तर :

- मजदूरी की न्यूनतम दर समय–समय पर सरकार द्वारा तय की जाती है। यह न्यूनतम दर रहने के खर्च के साथ भी हो सकती है और नहीं भी।
- सरकार हर पांच वर्श के अंतराल पर मजदूरी की न्यूनतम दर तय करती है।

प्रष्न : क्या हर मजदूर को समान मजदूरी मिलती है?
उत्तर : नहीं। इस कानून में चार प्रकार के मजदूर होते हैं जिन्हें उनके कार्य के अनुरूप तय की जाती है। मजदूरों के प्रकार हैं–

अकुषल	–	ऐसा मजदूर जितना और जैसा काम बताया जाता है उसी प्रकार उतना काम करेगा।
अर्धकुषल	–	जो आमतौर पर रोज एक काम करता है। जो उसे प्रतिदिन सौंपा जाता है। अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं लेता।
कुषल	–	जो काम के दौरान फैसले ले सकता है, कर्तव्य उचित प्रकार से करता है तथा तकनीकी कौषल वाले काम भी करता है।
अतिकुषल	–	कुषल कर्मचारी से भी ज्यादा सक्षम होता है।

प्रष्न : मजदूरी के रूप में क्या मिलता है?
उत्तर : इस अधिनियम के अनुसार वेतन भत्ता रूपये के रूप में दिया जाएगा। लेकिन अगर सरकार को ऐसा लगता है कि किसी क्षेत्र में काम के बदले धन देने की जगह वस्तु प्रदान करने की परम्परा है तो सरकार इसे अधिसूचित कर सकती हे। इसके अतिरिक्त अगर सरकार को लगता है कि आवष्यक वस्तुओं को रियायती दरों पर देने के लिए प्रावधान बनाना है तो वो ऐसा कर सकती है।
प्रष्न : मजदूरों को मजदूरी कब मिलती है?
उत्तर :

- किसी रेलवे, कारखाने, औद्योगिक या अन्य प्रतिश्ठान में जहां पर एक हजार से कम व्यक्ति काम करते हैं, वहां पर मजदूरी देने के लिए निष्चित किए गए दिन के 7 दिन के अंदर मजदूरी का भुगतान होना चाहिए। बाकी जगहों पर 10 दिन के अन्दर।
- प्रतिश्ठान के बंद होने के कारण नौकरी से निकाले जाने पर मजदूरी का भुगतान निकालने के दूसरे दिन हो जाना चाहिये।
- मजदूरी काल का अधिकतम समय 30 दिन होगा। मजदूरी काल का मतलब उस समय सीमा से है जिसके बाद मजदूर, मजदूरी पाने का अधिकारी हो जाता है।

प्रष्न : यदि मजदूर से निर्धारित समय के अतिरिक्त काम कराया जाता है तो कानून क्या कहता है?
उत्तर : अधिनियम के अंतर्गत किसी मजदूर की न्यूनतम मजदूरी, कार्य के घंटे, दिन आदि तय कर दिये गये हैं और वह मजदूर काम के निर्धारित साधारण समय से ज्यादा समय तक काम करता है तो मालिक को अतिरिक्त समय (ओवर टाइम) का वेतन मजदूर को देना होगा।
प्रष्न : क्या मजदूरी में कटौती भी की जाती है?
उत्तर :

- हां। मजदूरी में से कटौती इस अधिनियम के अनुसार की जाएगी। मजदूर द्वारा मालिक या उसके एजेंट को दी गई रकम कटौती मानी जाएगी।
- अधिनियम के अनुसार मजदूरी में से कटौती के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं–
  - ➢ जुर्माना।
  - ➢ काम पर न आने की वजह के लिए।
  - ➢ मजदूर की देखरेख में रखे गये माल या पैसे में हुए नुकसान के लिए।
  - ➢ मालिक, सरकार, या किसी आवास बोर्ड बोर्ड द्वारा दी गई रहने की सुविधा के लिए। मजदूर द्वारा दिए जाने वाले आयकर के लिए।
  - ➢ न्यायालय या अन्य किसी प्राधिकारी के आदेष के अंतर्गत।
  - ➢ व्यवसाय संघ (ट्रेड यूनियन) की फीस के लिए।
  - ➢ बीमा पॉलिसी के लिए।
  - ➢ मजदूर की भलाई के लिए बनाए गए फंड के लिए।

प्रष्न : असमान कार्यों के लिए न्यूनतम वेतन कितना होता?
उत्तर :

- अगर कोई मजदूर एक से ज्यादा कार्य करता है जो एक समान नहीं है और जिनकी न्यूनतम मजदूरी की दर भी एक समान नहीं है तो मालिक को उसके कार्य के समय के अनुसार उस संबंधित कार्य की उपलब्ध न्यूनतम मजदूरी देनी होगी।
- अगर किसी कार्य की मजदूरी वस्तु बनाने पर आधारित है और उसकी मजदूरी समय पर आधारित है तो मालिक को उस समय की तय न्यूनतम मजदूरी देनी होगी।
- इस अधिनियम के अंतर्गत काम करने के घंटे तय करने के साथ मजदूरों को हफ्ते में एक दिन की छुट्टी भी दी जाएगी।

प्रष्न : रजिस्टर एवं रिकार्ड में क्या–क्या लिखा जाता है?
उत्तर : कोई भी व्यक्ति या सेठ या ठेकेदार जो मजदूरों से काम लेता है उसको एक रजिस्टर या पंजी रखना पड़ती है जिसमे नीचे लिखी बातें होती हैं।

- मजदूरी रजिस्टर।
- मस्टर रोल (मजदूरी, मजदूर एवं पैसे)।
- जुर्माना रजिस्टर।
- नुकसान या हानि के लिए कटौती।
- निर्धारित टाइम से अधिक काम के लिए ओवर टाइम रजिस्टर।
- मिलने आने वाले या निरीक्षण की पंजी।

प्रत्येक मजदूर को मजदूरी देने से पहले उसके काम का समय एवं पैसे लिखी पर्ची जरूर मिलना चाहिये ताकि उसे पता रहे कि उसने कितना काम किया है और पैसा कितना मिला है।
प्रष्न : कार्य की निगरानी के लिये नियुक्त किये गये निरीक्षक के क्या कार्य होते हैं?
उत्तर :

- सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षक नियुक्त कर सकती है और उसके कार्य करने के अधिकार, षक्तियां और सीमाओं को निर्धारित कर सकती है।
- निरीक्षक किसी भी उस स्थान का निरीक्षण कर सकता है जहां मजदूर काम करते हों।
- वह किसी भी रिकार्ड को जब्त कर सकता है और उस रिकार्ड की छायाप्रति ले सकता है।
- निरीक्षक इस बात की भी जानकारी ले सकता है कि न्यूनतम मजदूरी क्या दी जा रही है और वह निर्धारित मापदंडों के अनुरूप है या नहीं।

प्रष्न : मजदूरी के संबंध में षिकायत कौन कर सकता है?

उत्तर :

- मजदूरी में से कोई कटौती की गई हो या मजदूरी देने में देरी हुई हो, वहां पर निम्नलिखित व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं–
- मजदूर खुद या उसकी ओर से कोई वकील या
- कोई पंजीकृत व्यवसाय संघ (रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन) या निरीक्षक (इंस्पेक्टर) या
- अधिकारी से अनुमति लेने के बाद कोई अन्य व्यक्ति।

प्रष्न : मजदूरी के संबंध में षिकायत कहां की जाती है?

उत्तर :

- यदि किसी मजदूर को उसकी मजदूरी न्यूनतम दरों के हिसाब से नहीं मिलती है तो वह श्रम आयुक्त के सामने उसकी षिकायत कर सकता है। सरकार श्रम आयुक्त की नियुक्ति करेगी।
- मजदूर अपने दावे के लिए स्वयं अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। उसे वकील की जरूरत नही है। अगर वह चाहे तो अपने दावे को प्रस्तुत करने के लिए किसी वकील या किसी मजदूर यूनियन के अधिकारी को भी नियुक्त कर सकता है।
- यह जरूरी नहीं कि जिस दिन से न्यूनतम मजदूरी की दर न मिली हो आवेदन उस दिन के छः महीने के भीतर पेष किया गया हो।
- दावे या आवेदन लेने के बाद श्रम आयुक्त, मजदूर और मालिक दोनों के पक्ष को सुनेगा और पूरी जांच के बाद फैसले का निर्देष देगा।
- श्रम आयुक्त आवेदनकर्ता को वह रकम जो उसे न्यूनतम मजदूरी से कम मिली है देने का निर्देष दे सकता है और साथ ही मुआवजा देने का आदेष भी दे सकता है जो कि ऐसी रकम से 10 गुना से ज्यादा नहीं होगा।
- आवेदन पर सुनवाई करने वाले अधिकारी को दीवानी न्यायालय के समान माना जायेगा और वह सभी प्रक्रियाएं जो दीवानी मुकदमों में चलाई जाती हैं। इस पर भी लागू होंगी।
- इस अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने वाले अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

प्रष्न : क्या मजदूर पर किसी तरह का जुर्माना लगाया जा सकता है?

उत्तर : मजदूर पर किसी भी काम के करने या न करने की वजह से तब तक कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा जब तक ऐसे जुर्माने को लगाने के लिए मालिक ने राज्य सरकार या उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी से जुर्माना लगाने के लिए पहले से अनुमति न ले ली हो और ऐसे कामों की सूची जिन पर जुर्माना लगाया जाएगा उसकी सूचना प्रतिश्ठान या रेल के संबंध में (कारखाने को छोड़कर) किसी उचित जगह पर न लगायी गई हो।

प्रष्न : मजदूर के साथ यदि मजदूरी से जुड़ा कोई जुर्म हुआ है तो क्या दंड दिया जाता है?

उत्तर :

- अगर कोई भी मालिक किसी मजदूर को इस अधिनियम में निर्धारित व न्यूनतम मजदूरी नहीं देता है तो उसे 6 महीने की जेल या रू0 500/– जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं।
- अगर जुर्म किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तो वह व्यक्ति जो उस वक्त कम्पनी के काम का प्रभारी था कम्पनी के साथ उसके लिए जिम्मेदार माना जाायेगा।

प्रष्न : मजदूर की मृत्यु हो जाने पर मजदूरी का भुगतान किसे किया जाता है?

उत्तर :

- यदि किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मजदूरी निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक को दी जाएगी–
- मजदूर द्वारा नामित व्यक्ति को।

- जहां पर किसी व्यक्ति को नामित नहीं किया गया हो तो यह रकम संबंधित अधिकारी के पास जमा कर दी जाएगी।

8. भवन निर्माण श्रमिकों के अधिकार

अपने देष एवं प्रदेष के 90 प्रतिषत से अधिक श्रमिक (मजदूर) असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और इन असंगठित श्रमिकों में बड़ा वर्ग निर्माण कर्मकारों (भवन निर्माण श्रमिकों) का है।

प्रष्न : भवन निर्माण में लगे श्रमिक जो भवन, सड़कें, पुल, बांध, नहरें, बिजलीघर आदि अपनी मेहनत और पसीने से बनाते हैं उनकी क्या–क्या समस्याएं हैं?

उत्तर :

- रोजगार में अनियमितता।
- रोजगार के लिए अपना गांव–घर छोड़ने की मजबूरी।
- भवन निर्माण के खतरे।
- बीमारी या दुर्घटना होने पर इलाज एवं क्षतिपूर्ति की व्यवस्था नहीं।
- बच्चों की पढ़ाई एवं महिला श्रमिकों के छोटे बच्चों की देखभाल की व्यवस्था नहीं।
- मजदूरी का भुगतान नियम से नहीं होना आदि।

प्रष्न : इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कानून बनाये हैं?

उत्तर : समस्या निराकरण के लिए दो कानून बनाये गये हैं।

पहला – भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा षर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996

दूसरा – भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकरण अधिनियम, 1996

प्रष्न : पहले कानून में क्या है?

उत्तर :

- इस कानून में मजदूरों के काम और दषा के बारे में नियम है।
- मजदूरों की स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण के कानून हैं।

प्रष्न : यह कानून कौन–कौन से निर्माण कार्यों पर लागू होता है?

उत्तर : किसी भी व्यक्ति द्वारा खुद के रहने के लिए 10 लाख से कम लागत के मकान को छोड़कर सभी निर्माण कार्यों पर ये कानून लागू होगा।

प्रष्न : यह कानून कब लागू होता है?

उत्तर : जब उन निर्माण कार्यों में 12 महीने में किसी भी दिन 10 या अधिक मजदूरों ने काम किया हो।

प्रष्न : दूसरे कानून में क्या है?

उत्तर :

- राज्य स्तर पर कल्याण निधि की स्थापना और इसके कामकाज के लिए राज्य स्तर का कल्याण मंडल भी बनाया गया है।
- निर्माण मजदूरों के कल्याण निधि के लिए धन के प्रबंध के लिए निर्माण कार्यों पर उपकर लगाने का कानून भी बनाया गया है।

प्रष्न : यह कानून कब बना और कब लागू किया गया?

उत्तर : ये कानून 1 जनवरी 2003 को नियम बनाकर 10 अप्रैल 2003 से लागू है।

प्रष्न : इस कानून में निर्माण मजदूर किन्हें माना गया है?

उत्तर : निर्माण मजदूर उसे माना जायेगा जो भवन, नाले निकासी, नहर पुल सुरंग, बाढ़ नियंत्रण का काम, रेलवे, जलप्रदाय, विमानतल, पाइपलाइन, टावर, बिजली उत्पादन, सिंचाई, टेलीफोन लाइन आदि बांध, नहर, जलाषय बनाने के काम में लगे हैं।

श्रमिकों के कल्याण के लिए मंडल योजना लागू है जिससे अलग–अलग प्रकार से श्रमिकों को विविध क्षेत्रों में लाभ मिलते हैं।

प्रष्न : कर्मकार मंडल की कल्याण योजना का लाभ कैसे मिलेगा?

उत्तर : किसी भी मजदूर को यदि कर्मकार मंडल की कल्याण योजना का लाभ चाहिए तो उसको अपना पंजीयन मंडल में कराना होगा। तभी वह हितग्राही माना चाहिए।

प्रष्न : मंडल में मजदूर का पंजीयन कब होता है?

उत्तर : 18 से 60 वर्श के नीचे का कोई भी श्रमिक हो और पिछले साल 12 महीने में कम से कम 90 दिन निर्माण में मजदूरी की हो तो पंजीयन हो जायेगा।

प्रष्न : पंजीयन कराने में कितनी फीस लगती है?

उत्तर : पंजीयन की फीस रू0 25 होगी, पासपोर्ट आकार के (माचिस बराबर) दो फोटो में जानकारी भरवाकर मंडल में आवेदन देना होगा।

प्रष्न : फीस जमा करने के बाद क्या करना होता है?

उत्तर : पंजीयन के बाद मजदूर की एक फोटो सहित परिचय पत्र मिल जायेगा। पंजीयन हो जाने के बाद हितग्राही श्रमिक को साठ साल की उम्र तक सरकार मासिक दर से बहुत कम राषि मंडल में हर महीने जमा करानी होगी। मालिक को भी मजदूरी से काटकर मंडल में भेजने के लिए कह सकता है।

प्रष्न : क्या पंजीयन समाप्त भी हो जाता है?

उत्तर : एक साल तक पैसा जमा न करने पर पंजीयन खत्म हो जायेगा।

प्रष्न : मंडल से क्या–क्या लाभ मिलेगा?

उत्तर : मंडल में नीचे लिखी सुविधाऐं श्रमिक को मिलेंगी –

वृद्धावस्था पेंषन	–	तीन साल तक पंजीयन जरूरी
परिवार पेंषन	–	तीन साल तक पंजीयन जरूरी
निःषक्त (विकलांग) सहायता	–	एक वर्श तक पंजीयन जरूरी
मकान खरीदने या बनवाने का लोन	–	पांच वर्श तक पंजीयन जरूरी
किसी बैंक से लिये गये लोन पर ब्याज अनुदान	–	तीन वर्श तक पंजीयन जरूरी
छात्रवृत्ति	–	एक वर्श तक पंजीयन जरूरी
बैंक से षिक्षा ऋण पर ब्याज अनुदान	–	तीन वर्श तक पंजीयन जरूरी
आय में बढ़ोतरी हेतु सहायता	–	तीन/एक वर्श
विवाह सहायता	–	तीन वर्श तक पंजीयन जरूरी
इलाज सहायता	–	तीन वर्श तक पंजीयन जरूरी
दुर्घटना होने पर चिकित्सा इलाज	–	लागू नहीं
प्रसूति/बाल बच्चे होने पर सहायता	–	एक वर्श
बीमा सहायता	–	एक वर्श
मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार में अनुदान	–	लागू नहीं

मंडल ऊपर लिखी सभी सुविधाऐं अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर समय–समय पर तय करेगा कि कौन सी सुविधायें दी जानी चाहिये। मंडल द्वारा किये जाने वाले अन्य कार्य इस प्रकार है–

- सर्वे और अध्ययन
- जागरूकता/प्रचार प्रसार
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के काम
- खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम

अतः भवन निर्माण के मजदूर अधिक से अधिक संख्या में मंडल में पंजीयन करायें और लाभ लें।

9. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

प्रष्न : इस अधिनियम के क्या उद्देष्य है?

उत्तर : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 सामाजिक कल्याण के लिए उठाया गया षासन का एक महत्वपूर्ण कदम है। बीमारी, प्रसूति और काम पर हुई दुर्घटना या चोट लगने की स्थिति में यह अधिनियम कर्मचारियों को लाभ पहुंचाता है। इसके साथ–सथ नौकरी के दौरान होने वाली विविध बीमारियों की अवस्था में यह अधिनियम उनके बीमे की राषि के भुगतान में मदद करता है।

प्रष्न : कर्मचारी राज्य बीमा योजना कौन चलाता है?

उत्तर :

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारियों के कल्याण के लिए यह योजना चलाता है।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम की एक 'स्टेंडिंग कमेटी' होती है एवं एक मेडिकल बेनिफिट कौंसिल भी होती है जो इसकी गतिविधियों को संचालित करने में सहायक होते हैं।

प्रष्न : इस कार्यालय के मुख्य अधिकारी कौन होते हैं?

उत्तर : निम्न अधिकारी इस कार्य को संचालित करते हैं :

- महानिदेषक
- वित्तीय आयुक्त

महानिदेषक निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है।

प्रष्न : चिकित्सीय बेनिफिट परिशद के क्या कार्य होते हैं?

उत्तर :

- यह परिशद निगम एवं स्टेंडिंग कमेटी को चिकित्सीय लाभ से जुड़ी प्रषासनिक सलाह देते हैं और अन्य संबंधित मामलों में प्रमाणीकरण करते हैं।
- चिकित्सकों के विरूद्ध चिकित्सीय उपचार और उपस्थिति से जुड़ी षिकायतों की जांच करते हैं।
- अधिनियम से जुड़े चिकित्सीय उपचार और उपस्थिति से संबंधित सभी कार्य करते हैं।

प्रष्न : क्या सभी कर्मचारियों का बीमा होता है?

उत्तर : उन सभी कारखानों या स्थापनाओं के सभी कर्मचारियों का बीमा होता है जहां यह कानून लागू होता है।

प्रष्न : इस कानून के क्या–क्या लाभ हैं?

उत्तर : बीमाकृत व्यक्तियों और उनके आश्रितों को निम्न प्रकार के लाभ होते हैं–

बीमारी में लाभ – बीमारी की अवस्था में बीमाकृत व्यक्तियों को किष्तों में भुगतान किया जाता है।

प्रसूति लाभ – गर्भवती महिला को बीमारी, गर्भपात या समय पूर्व प्रसव होने पर किष्तों में पैसों का भुगतान किया जाता है।

आश्रितों को लाभ – दुर्घटना, मृत्यु होने पर बीमाकृत व्यक्ति के आश्रितों को बीमा का लाभ मिलता है।

चिकित्सीय लाभ – कार्य के दौरान घायल हुए व्यक्ति को उपस्थिति के आधार पर चिकित्सीय लाभ मिलता है।

दाह संस्कार का खर्च – बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिवार के सबसे बड़े सदस्य को दाह संस्कार का पैसा मिलता है।

प्रष्न : क्या लाभ संयुक्त भी हो सकती हैं?

उत्तर : एक बीमाकृत व्यक्ति को ये लाभ निम्न स्थितियों में संयुक्त मिल सकते हैं–

- बीमारी के लिए लाभ और प्रसूति लाभ।
- बीमारी लाभ और अस्थाई विकलांगता लाभ।
- प्रसूति लाभ और अस्थाई विकलांगता लाभ।

- यदि एक व्यक्ति एक से ज्यादा लाभ लेने का हकदार है तो उसे तय करना होता कि वो किस लाभ को लेना चाहता है।

प्रश्न : दावों के विवाद कैसे सुलझाये जाते हैं?

उत्तर : राज्य सरकार ने विवादों के निपटारे के लिए अलग से कर्मचारी बीमा न्यायालय की स्थापना की है।

प्रष्न : कर्मचारी बीमा न्यायालय में किस तरह के प्रकरणों का विवरण किया जाता है?

उत्तर : कर्मचारी बीमा न्यायालय में निम्नलिखित विवादों से संबंधित प्रकरणों को लिया जाता हैः

- इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति कर्मचारी है या वह कर्मचारी अंषदान जमा करने का हकदार था।
- इस नियम के अनुसार निर्धारित वेतन दर या औसत दैनिक वेतन क्या है?
- मुख्य नियोजक द्वारा जमा किये जाने वाले अंषदार की दर क्या है?
- मुख्य नियोजक कौन था या कौन है?
- किसी लाभ के लिए किसी व्यक्ति का अधिकार, धनराषि और अवधि क्या होंगे?
- आश्रितों को मिलने वाले लाभ में निगम द्वारा निर्धारित दिषानिर्देषों का आंकलन कैसे होगा?
- अंषदान, लाभ या अन्य देयक या वसूली में जुड़े किसी भी विवाद का निपटारा जो निम्नलिखित के मध्य हो–
- मुख्य नियोजक और निगम।
- मुख्य नियोजक और तात्कालिक नियोजक।
- व्यक्ति और निगम।
- नियोजक और मुख्य या तात्कालिक नियोजक।
- कर्मचारी बीमा न्यायालय के किसी निर्णय से संबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री या जानकारी से संबंधित।

इस प्रकार से कर्मचारी बीमा न्यायालय सामान्यतः निम्नलिखित विवादों का निपटारा करता है–

- मुख्य नियोजक के अंषदान की वसूली।
- किसी तात्कालिक नियोजक के अंषदान की वसूली।
- सेक्षन 68 के अंतर्गत किसी मुख्य नियोजक के विरूद्ध किसी दावे का निपटारा।
- उस राषि की वसूली जिसे किसी व्यक्ति ने लाभ के लिए प्राप्त किया जबकि वो इसके लिए अधिकृत नहीं था।

याद रखें कि यदि कर्मचारी बीमा न्यायालय के समय कोई याचिका दायर की जाती है तो सेक्षन 54ए(2) के अंतर्गत न्यायालय सभी मुद्दों का निराकरण करने में सक्षम है।

प्रश्न : क्या कर्मचारी बीमा न्यायालय में जाने के लिए कोई समय सीमा होती है।

उत्तर : आवेदन के समय से ही कार्यवाही प्रक्रिया षुरू हो जाती है। विवाद उत्पन्न होने की तारीख से 30 वर्श के भीतर न्यायालय को आवेदन किया जा सकता है।

प्रष्न : इस नियम के अंतर्गत किस तरह के दंड का प्रावधान है?

उत्तर : यदि किसी ने जानबूझकर कोई असत्य कथन या असत्य प्रस्तुति की है तो उसे निम्नलिखित कारणों के लिए 6 महीने की जेल या रू0 2000/– तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं–

- किसी भुगतान की राषि या लाभ बढ़ाने के लिए।
- असंवैधानिक तरीके से भुगतान लेने के लिए।
- उसके द्वारा किये गये भुगतान को रोकने के लिए।
- इस तरह के भुगतान को रोकने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के लिए।

यदि इस धारा के अंतर्गत कोई बीमाकृत व्यक्ति आता है तो उसे इस अवधि के लिए किसी भी प्रकार का वह भुगतान नहीं किया जायेगा जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित है।

अंषदान राषि न जमा करने पर दंड

अपराध	दंड
निर्धारित अंषदान जमा नहीं करना	3 वर्श की जेल लेकिन (अ) यदि किसी कर्मचारी के वेतन से वह राषि काट ली गई है जो नियोजक निर्धारित अंषदान था तो सजा की अवधि एक वर्श और 10,000 रूपये का दंड लिया जायेगा। (ब) अन्य मामले में सजा की अवधि 6 माह और 5000 रूपये से कम का दंड नहीं होगा।
• कर्मचारी के अंषदान की राषि पूर्ण या अंष काट लेने या काटने के प्रयास। • कम्रचारी के निर्धारित लाभ या उसे मिलने वाली राषि में कटौती। • किसी कर्मचारी को नौकरी से निकालना या दंड देना। • किसी रिटर्न को जमा करने से इन्कार करना या झूठा रिटर्न जमा करना। • निगम के किसी अधिकारी के काम में व्यवधान डालना। • इस अधिनियम के नियमों की अनदेखी करना।	• एक वर्श का कारावास या 4000 रूपये जुर्माना या दोनों।

प्रष्न : इन अपराधों की विवेचना किस अदालत में की जायेगी?

उत्तर : मेट्रो पॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी ज्यूडिषियल मजिस्ट्रेट के समक्ष इन अपराधों की विवेचना की जाती है।

याद रखें

न्यायालय केवल लिखित षिकायत पर ही सुनवाई करेगा। सुनवाई तभी होगी जब बीमा आयुक्त या किसी निगम के महानिदेषक द्वारा अधिकृत निगम अधिकारी की स्वीकृति होगी।

प्रश्न : निगम के खातों की जांच कौन करता है?

उत्तर : भारत के आडिटर जनरल और कन्ट्रोलर द्वारा निगम के खातों की जांच की जाती है।

प्रष्न : ई.एस.आई. प्रावधान कहां लागू होता है?

उत्तर : निम्नलिखित श्रेणियों के कारखानों और स्थापनाओं में यह प्रावधान लागू होता है–

- ऊर्जा से चलने वाले उन 'नॉन सीजनल' कारखानों पर जहां 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं।
- उन 'नॉन सीजनल' कारखानों और स्थापनाओं पर जो बिना ऊर्जा की मदद से चलती है और जहां 20 या इससे ज्यादा लोग काम करते हैं।
- केन्द्र या राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वो इन प्रावधानों को विविध श्रेणी के कारखानों, स्थापनाओं, व्यवसायिक केन्द्रों, कृशि उपक्रमों पर भी लागू कर सकता है जैसेः दुकानें, होटल, रेस्टोरेन्ट्स, सिनेमा, मोटर ट्रांसपोर्ट, अखबार, एडवरटाइजिंग एजेन्सीज जहां 20 या इससे अधिक लोग काम कर रहे हैं।

प्रष्न : आश्रित कौन है?

उत्तर : आश्रित, बीमाकृत व्यक्ति के निम्न रिष्तेदार हो सकते हैंः

- विधवा, 25 वर्श से कम आयु का वैध या दत्तक पुत्र या अविवाहित वैध या दत्तक पुत्री,
- विधवा मां,
- बीमाकृत मृत व्यक्ति पर पूर्णतया आश्रित वैध या दत्त पुत्र एवं पुत्रियां,
- वे आश्रित जो व्यक्ति की मृत्यु के समय व्यक्ति पर ही पूरी तरह या आंषिक रूप से आश्रित थे जैसेः
- विधवा मां के अलावा माता पिता।
- अल्पवयस्क अवैध पुत्र, अविवाहित अवैध पुत्री या वैध पुत्री या दत्तक या विधवा अवैध पुत्री।
- अल्पवयस्क भाई या अविवाहित बहन या अल्पवयस्क विधवा बहन।
- विधवा पुत्र वधु।
- स्वर्गवासी पुत्र की अल्पवयस्क संतान।
- स्वर्गवासी पुत्री की अल्पवयस्क संतान जिसके माता–पिता जीवित नहीं हैं।
- छादा–दादी यदि बीमाकृत व्यक्ति के माता–पिता जीवित नहीं हैं।

प्रष्न : परिवार से क्या तात्पर्य है?

उत्तर : परिवार यानि बीमाकृत व्यक्ति के सभी पारिवारिक सदस्य जो इस प्रकार हैं–

- बच्चे
- बीमाकृत व्यक्ति पर आश्रित अवयस्क वैध या अवैध संतान।
- बच्चे जो पूरी तरह बीमाकृत व्यक्ति पर निर्भर हैं वे हैं–
- षिक्षा प्राप्त करने वाले 21 वर्श तक के आयु वाले पुत्र या पुत्री।
- अविवाहित पुत्री।
- वह संतान जो भौतिक या मानसिक रूप से अपंग है और बीमाकृत व्यक्ति की आय पर पूरी तरह आश्रित हैं।
- केन्द्र द्वारा निर्धारित आय न कमा पाने वाले माता–पिता जो पूरी तरह बीमाकृत व्यक्ति पर आश्रित हैं।
- अवयस्क भाई और बहन जो पूरी तरह बीमाकृत व्यक्ति पर निर्भर हैं और जिनके माता–पिता भी जीवित नहीं हैं।

पंजीकरण अधिकारी एवं निर्माण श्रमिकों हेतु मार्गदर्शिका

➢ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कौन है तथा फायदाग्राही कैसे बन सकते हैं?

सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों के निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों जैसे, पुल, सड़क हवाई–पट्टी, सिंचाई, पानी निकासी तटबन्ध, सुरंग, बाढ नियन्त्रण, विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण, जल–कल, तेल एवं गैस इन्स्टालेशन, बांध, नहर, जलाशय, पाइप लाईन, टावर, टेलीविजन, टेलीफोन–मोबाइल टावर आदि से संबंधित निर्माण कार्य मरम्मत, रख–रखाव आदि में कार्य कर रहे कामगार (मजदूर, मिस्त्री, प्लम्बर आदि) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार हैं।

फायदाग्राही बनने हेतु निर्माण कामगार द्वारा जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा 60 वर्ष पूर्ण न किये हों, पूर्ववर्ती 01 वर्ष के दौरान कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप मे कार्य किया हो, अपना पंजीकरण करा सकता है। जिसके लिए पंजीकरण शुल्क रु 25.00 (रूपया पच्चीस मात्र) देय है तथा वार्षिक अभिदाय रु 75.00 (रूपया पिचहत्तर मात्र) जमा किया जाना है। पंजीकरण के समय निर्माण श्रमिक को अपने

प्रार्थना पत्र के साथ पासपोर्ट आकार के 02 फोटो, आयु का प्रमाण–पत्र तथा विगत वर्ष मे कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप मे कार्य करने का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। निर्माण श्रमिक द्वारा अपने कानूनी वारिसों के नामांकन हेतु नामांकन–पत्र भी भरा जाना आवश्यक है।

पंजीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र तथा नामांकन–पत्र पंजीकरण अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। पंजीकरण अधिकारी द्वारा एक पंजिका में निर्माण श्रमिक का पंजीकरण कल्याण निधि के सदस्य के रूप में किया जायेगा, जिसमें पंजीकरण प्रर्थना–पत्र तथा नामांकन–पत्र की सूचनाएं दर्ज की जायेंगी पंजिका में जिस क्रमांक पर निर्माण श्रमिक का नाम दर्ज होगा वही क्रमांक उसकी पंजीकरण संख्या होगी। पंजीकरण अधिकारी द्वारा निर्माण श्रमिक का पंजीकरण करके पहचान–पत्र भी जारी किया जायेगा।

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

1– 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कामगारों को र 500.00 प्रति माह की दर से पेंशन तथा पेंशनभोगी की मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन उत्तरजीवी पति या पत्नी को र 300.00 प्रतिमाह।

2– कामगारों को मकान की खरीद/निर्माण हेतु र 50,000.00 तक अग्रिम ऋण राशि की सुविधा।

3– लकवा, कुष्ठरोग, तपेदिक अथवा दुर्घटना आदि के कारण स्थायी रूप से निःशक्तता पर र 500.00 प्रतिमाह की दर से निःशक्तता पेंशन तथा र 30,000.00 तक की अनुग्रह राशि।

4– नियोजन (कार्य के दौरान) दुर्घटना में मृत्यु होने पर र 1,00,000.00 तथा सामान्य मृत्यु होने की दशा में मृतक कर्मकार के नामितों/आश्रितों को र 50,000.00 की आर्थिक सहायता।

5– अन्त्येष्टि संस्कार के खर्च के लिए मृतक कर्मकार के नामितों/आश्रितों को र 2000.00 की सहायता।

6– राष्ट्रीय स्वास्थ बीमा योजना के अर्न्तगत चिकित्सा सहायता तथा योजना के अर्न्तगत देय प्रीमियम का भुगतान बोर्ड की निधि से किया जाएगा।

7– कामगार के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता, शिक्षा के पाठ्क्रम तथा आर्थिक सहायता की धनराशि छः माही आधार पर निम्न प्रकार दी जाएगी :–

क– कक्षा 6 से कक्षा 8 तक	र 100.00 प्रतिमाह।
ख– कक्षा 9 से कक्षा 10 तक	र 125.00 प्रतिमाह।
ग– कक्षा 11 से कक्षा 12 तक/आई0टी0आई0	र 150.00 प्रतिमाह।
घ– पालीटैक्निक हेतु	र 300.00 प्रतिमाह।

इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा अथवा अन्य प्राविधिक पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन प्राप्त होने पर आर्थिक सहायता के संबंध में बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।

8– पंजीकृत कर्मकार को र 10,000.00 की सीमा तक के टूल–किट के रूप में सहायता।

9– अपनी आश्रित दो पुत्रियों के विवाह के लिए तथा महिला कर्मकारों को स्वयं के विवाह के लिए र 11,000.00 की आर्थिक सहायता।

10– महिला कामगारों को प्रसूति की अवधि के दौरान में र 5,000.00 प्रसूति प्रसुविधा सहायता। **(यह सुविधा दो बार से अधिक प्रदान नहीं की जाएगी)**

उपरोक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा श्रम आयुक्त/सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, हल्द्वानी को आवेदन किया जा सकता है।

पंजीकरण हेतु पंजीकरण अधिकारी निम्नानुसार हैं :

1. श्रम विभाग के सहायक श्रम आयुक्त
2. लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, पेयजल निर्माण निगम, जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरण के सहायक अभियन्ता।
3. नगर निगम के उपनगर अधिकारी एवं सहायक अभियन्ता
4. नगर पालिका/टाउन एरिया के अधिशाषी अधिकारी

उपरोक्त के अतिरिक्त श्रम विभाग के किसी भी स्थानीय कार्यालय से पंजीकरण हेतु सम्पर्क किया जा सकता है।

उत्तराखण्ड शासन
उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,
श्रम भवन, हल्द्वानी

उत्तराखण्ड शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या 1584/टप्प्/11–99(श्रम)/2007
देहरादून, दिनांक 02 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल, असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 33 वर्ष 2008) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड राज्य में असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियम, 2011

संक्षिप्त नाम और **1.** (1) इस नियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक

प्रारम्भ सुरक्षा नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

परिभाषाएं

2. (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "अधिनियम" से असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 (2008 का 33) अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित उत्तराखण्ड राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य" से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है;

(ड.) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(च) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में हैं।

बोर्ड के सदस्यों की पदावधि

3. (1) बोर्ड के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(2) धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के उपखंड (तीन) के अधीन नाम–निर्देशित कोई व्यक्ति उत्तराखण्ड विधानसभा के सदस्य न रह जाने पर बोर्ड का सदस्य नही रहेगा।

(3) धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ग) के उपखण्ड (एक) उपखण्ड (दो) और उपखण्ड (चार) के अधीन नाम–निर्देशित कोई सदस्य तब बोर्ड का सदस्य नही रहेगा यदि वह उस प्रवर्ग का जिससे वह इस प्रकार नाम–निर्देशित किया गया था, का प्रतिनिधितव नहीं करता है;

परंतु यह कि उपखण्ड (एक) के अधीन नाम–निर्देशित सात व्यक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक से एक–एक सदस्य होगा।

(4) कोई सदस्य पुनः नाम–निर्देशन के लिए पात्र होगा।

त्याग–पत्र

4. (1) बोर्ड का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य नही है, अध्यक्ष को संबोधित स्व–हस्तलिखित पत्र द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा।

(2) ऐसे सदस्य का स्थान उसके त्यागपत्र स्वीकार होने की तारीख से या त्याग पत्र की सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के अवसान के पश्चात, जो भी पूर्वत्तर हो, रिक्त हो जायेगा।

(3) सदस्य के त्यागपत्र को स्वीकार करने की शक्ति अध्यक्ष में निहित होगी, जो त्यागपत्र स्वीकार करने पर बोर्ड को उसके अगले अधिवेशन में प्रस्तुत करेगा।

पते में परिवर्तन

5. यदि कोई सदस्य अपने पते में परिवर्तन करता है तो वह अपना नया पता बोर्ड के सदस्य सचिव को अधिसूचित करेगा, जो तदुपरांत उसका नया पता सरकारी अभिलेख दर्ज करेगाः

परन्तु यह कि यदि सदस्य अपना नया पता अधिसूचित करने में असफल रहता है, तो सरकारी अभिलेख में पता सभी प्रयोजनों के लिए सदस्य का सही पता समझा जायेगा।

रिक्त स्थानों को भरने की रीति

6. यदि बोर्ड की सदस्यता में कोई रिक्ति होती है या होने की संभावना है तो अध्यक्ष, राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, रिक्त स्थान को भरने के लिए किसी व्यक्ति को नाम–निर्देशित कर सकेगा और इस प्रकार नाम–निर्देशित व्यक्ति उस सदस्य की शेष पदावधि तक, जिसके स्थान पर वह नाम–निर्देशित किया जाता है, पद धारण करेगा।

सदस्यों के भत्ते

7. (1) बोर्ड के किसी सरकारी सदस्य का यात्रा भत्ता सरकारी कर्तव्य पर उसके द्वारा निष्पादित की गयी यात्रा के लिए उस पर लागू नियमों द्वारा शासित किया जायेगा और उसके वेतन का संदाय करने वाले प्राधिकारी द्वारा संदत किया जायेगा।

(2) बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को बोर्ड के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता ऐसी दरों पर संदत किया जायेगा, जो राज्य सरकार के रुपये 7600/– ग्रेड पे के समूह 'क' अधिकारी को संदेय है और दैनिक भत्ते की गणना उनके संबंधित स्थानों में राज्य सरकार के रुपये 7600/– ग्रेड पे के समूह 'क' अधिकारियों को लागू दर पर की जायेगी।

कारबार का निपटान

8. ऐसे प्रत्येक विषय पर जिस पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाना है, बोर्ड के किसी अधिवेशन में या यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश देता है तो प्रत्येक सदस्य को राय जानने के लिए आवश्यक कागजात भेजकर विचार किया जाएगा और उस विषय का बहुमत के विनिश्चिय के अनुसार निपटारा किया जायेगा;

परंतु यह कि जहां किसी विषय पर मतैक्य नहीं है और बोर्ड के सदस्य समान रुप से विभाजित हैं, अध्यक्ष का द्वितीय और निर्णायक मत होगा।

स्पष्टीकरण– उक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए "अध्यक्ष" पद के अन्तर्गत अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए नियम 9 के उपनियम (2) के अधीन नाम–निर्देशित या चुना गया कोई व्यक्ति भी सम्मिलित होगा।

अधिवेशन

9. (1) बोर्ड का अधिवेशन ऐसे स्थान और ऐसे समय पर होगा, जो अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किये जाएं और यह अधिवेशन तीन मास में न्यूनतम एक बार होगा।

(2) अध्यक्ष बोर्ड के उस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा जिसमें वह उपस्थित हो और उसकी अनुपस्थिति में बोर्ड के किसी सदस्य को अपने स्थान पर और अपनी अनुपस्थिति में ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए नाम–निर्देशित कर सकेगा और अध्यक्ष द्वारा ऐसे नाम–निर्देशन के अभाव में ऐसे अधिवेशन में उपस्थित बोर्ड के सदस्य अपने में से किसी सदस्य को अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए चुन सकेंगे।

अधिवेशन की सूचना और कारबार की सूची

10. (1) प्रस्तावित अधिवेशन की बोर्ड के सदस्यों को सामान्यता 15 दिन की सूचना दी जायेगी;

परंतु यह कि अध्यक्ष, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है तो ऐसे अधिवेशन के लिए एक मास से अनधिक की अवधि की सूचना दे सकेगा।

(2) बोर्ड के अधिवेशन के लिए कारबार की सूची में सम्मिलित कारबार के सिवाय, किसी कारबार पर अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना विचार नहीं किया जायेगा।

(3) अध्यक्ष किसी भी समय अत्यावश्यकता की दशा में विचार–विमर्श की विषयवस्तु और अत्यावश्यकता के कारणों के बारे में सदस्यों को 3 दिन की अग्रिम सूचना देने के पश्चात किसी भी समय बोर्ड का विशेष अधिवेशन बुला सकेगा।

गणपूर्ति

11. (1) बोर्ड के किसी अधिवेशन में तब तक कोई कारबार का संव्यवहार नही किया जायेगा जब तक उस अधिवेशन में कम से कम छह सदस्य उपस्थित न हों जिसके अर्न्तगत उत्तराखण्ड विधान सभा का कम से कम एक सदस्य सम्मिलित होगा;

परन्तु यदि किसी अधिवेशन में छह से कम सदस्य उपस्थित हैं तो अध्यक्ष उपस्थित सदस्यों को सूचित करके और अन्य सदस्यों को सूचना देकर आस्थगित अधिवेशन में कारबार का निपटान करने के लिए किसी अन्य तारीख के लिए अधिवेशन को आस्थगगित कर सकेगा चाहे गणपूर्ति हो या नहीं और उसके लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आस्थगित अधिवेशन में सदस्यों की उपस्थित संख्या को ध्यान में लाए बिना कारबार का निपटान करे।

(2) राज्य सरकार पदेन सदस्यों से भिन्न किसी सदस्य को बोर्ड के अधिवेशन में भाग लेने से विवर्जित कर सकेगी; यदिः–

(क) वह अध्यक्ष को लिखित में सूचना दिये बिना और उसकी सहमति के बिना बोर्ड के तीन लगातार अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है; या

(ख) राज्य सरकार की राय में ऐसा सदस्य उस हित का प्रतिनिधित्व नही करता है, जिसके लिए वह बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने के लिए तात्पर्यित

है।

अंसगठित कर्मकार के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की रीति

12. अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आवेदन प्रारूप–1 में जिला प्रशासन को किया जायेगा।

प्ररुप–1

{नियम 12 देखें}

असंगठित कर्मकार का नाम.....

पिता/पति का नाम.....

व्यवसाय.....

पताः–

वर्तमान.....

स्थायी.....

आश्रितों के नामः–

(क) पिता .....

(ख) माता .....

(ग) आश्रित बच्चे.....

(घ) अन्य .....

उत्तराखण्ड शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या 1681/टप्प्/11–680(श्रम)/2002
देहरादून, दिनांकः 12 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 10 वर्ष 1897) की धारा 21 सपठित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 27 वर्ष 1996) की धारा 40 एवं धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) नियम, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) (संशोधन) नियम, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

नियम 256 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) नियम, 2005 (जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) के वर्तमान नियम 256 को नीचे स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
राज्य से अनुपस्थितिः–256. यदि कोई सदस्य बिना अध्यक्ष को सूचना दिये कम से कम 6 माह के अवधि तक राज्य से बाहर रहता है, तब उसके द्वारा बोर्ड की सदस्यता को त्याग दिया गया समझा जायेगा।	**राज्य से अनुपस्थितिः–256.** यदि कोई सदस्य बिना अध्यक्ष को सूचना दिये कम से कम 6 माह की अवधि तक राज्य से बाहर रहता है, तब उसके द्वारा बोर्ड की सदस्यता को स्वतः त्याग दिया गया समझा जायेगा। यदि कोई सदस्य बिना पर्याप्त कारण दर्शाये बिना सूचना के लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नियम 259 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 259 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
फीस और भत्तेः– (1) बोर्ड के प्रत्येक	**फीस और भत्तेः–** (1) बोर्ड के प्रत्येक अशासकीय सदस्य को

अशासकीय सदस्य के बैठक के दिनों बैठक–फीस के रुप में एक सौ रुपया या समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिये फीस का संदाय किया जायेगा। यह फीस उप–समितियों की बैठकों पर लागू नहीं होगी।

बैठक के दिनों बैठक–फीस के रुप में दो सौ पचास रुपया या समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए फीस का संदाय किया जायेगा। यह फीस उप–समितियों की बैठक पर लागू नही होगी।

नियम 266 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 266 के उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
सदस्यताः– (3). नियोजक या ठेकेदार द्वारा जारी प्रमाणपत्र अथवा वेतन पर्ची या नियुक्ति पत्र, जिससे पुष्टि हो कि आवेदक सन्निर्माण कर्मकार है, रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। यदि ऐसा प्रमाण पत्र उपलब्ध नही है, तब किसी रजिस्ट्रीकृत भवन सन्निमार्ण कर्मकार संघ का अथवा संबंधित क्षेत्र के सहायक श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त द्वारा प्रदत् प्रमाणपत्र अथवा पंचायत के कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र पर भी विचार किया जा सकेगा।	**सदस्यताः– (3).** नियोजक या ठेकेदार द्वारा जारी प्रमाणपत्र अथवा वेतन पर्ची या नियुक्ति पत्र, जिससे पुष्टि हो कि आवेदक सन्निर्माण कर्मकार है, रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। यदि ऐसा प्रमाण पत्र उपलब्ध नही है, तब किसी रजिस्ट्रीकृत भवन सन्निर्माण कर्मकार संघ का अथवा संबंधित क्षेत्र के श्रम प्रवर्तन अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त/उपश्रम आयुक्त द्वारा प्रदत् प्रमाणपत्र अथवा ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम पंचायत आधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी/लेखपाल/ पटवारी एवं शहरी क्षेत्र के सक्षम अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका/टाउन एरिया/नोटिफाइड एरिया/कैंट बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र अथवा कर्मकार द्वारा दिया गया स्वयं का शपथ–पत्र जो नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित हो अथवा पंचायत के कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र पर भी विचार किया जा सकेगा।

नियम 267 का संशोधन

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 267 के उपनियम (1) व (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम (1) व (2) रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
निधि में अभिदायः– (1). प्रत्येक फायदाग्राही 20/– रुपया मासिक दर से निधि में अभिदाय करेगा। अभिदाय बोर्ड द्वारा उस जिले में, जहाँ लाभार्थी निवास करता है, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये बैंकों में से	**निधि में अभिदायः– (1)** प्रत्येक लाभग्राही 75 रुपये वार्षिक निधि में अभिदाय करेगाः परंतु यह कि प्रथम वर्ष अर्थात जिस वर्ष में कर्मकार निधि सदस्यता हेतु आवेदन करता है अथवा पंजीकृत किया जाता है, उस वर्ष के अभिदाय का भुगतान आवेदन–पत्र के साथ किया जायेगा। अभिदाय बोर्ड द्वारा उस जिले में जहाँ लाभार्थी निवास

किसी बैंक में, प्रत्येक त्रैमास पर अग्रिम में प्रेषित करेगा।

(2). यदि कोई फायदाग्राही लगातार एक वर्ष की कालावधि तक अभिदाय का संदाय करने से चूक करता है तब वह फायदाग्राही नहीं रह जायेगा। परन्तु सचिव अथवा इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से फायदाग्राही की सदस्यता प्रत्यावर्तित हो सकेगी, यदि अभिदाय की बकाया धनराशि दो रुपया प्रतिमाह की दर से जुर्माने के साथ जमा की जाए, किंतु यह प्रत्यावर्तन दो बार से अधिक आवृति पर न होगा।

नियम 271 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
प्रसूति प्रसुविधाः– 271. प्रत्येक महिला कर्मकार, जो निधि के अंर्तगत फायदाग्राही है, को प्रसूति की अवधि के दौरान रुपया 1000/– प्रसूति प्रसुविधा दी जायेगी। इस प्रसुविधा हेतु उसके द्वारा प्रपत्र ग्ग्ग्प्ट में आवेदन यथा विनिर्दिष्ट अभिलेखों के साथ बोर्ड के सचिव को दिया जायेगा। परन्तु यह प्रसुविधा दो बार से अधिक अनुमन्य नही होगी।	**प्रसूति प्रसुविधाः– 271.** प्रत्येक महिला कर्मकार, जो निधि के अंर्तगत फायदाग्राही है, को प्रसूति की अवधि के दौरान पाँच हजार रूपये प्रसूति प्रसुविधा दी जायेगी। इस प्रसुविधा हेतु उसके द्वारा प्रपत्र ग्ग्ग्प्ट में आवेदन यथा विनिर्दिष्ट अभिलेखों के साथ बोर्ड के सचिव को दिया जायेगा। परन्तु यह कि यह प्रसुविधा दो बार से अधिक अनुमन्य नही होगी।

नियम 273 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
करता है अथवा नियुक्त है, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये बैंकों मे से किसी बैंक में प्रत्येक वर्ष में एक बार पूर्व में भुगतान किये गये अभिदाय की अवधि की समाप्ति के तीन माह के भीतर अग्रिम में प्रेषित करेगा। निर्धारित अवधि में भुगतान न करने पर कर्मकार को प्रासंगिक अवधि मे भुगतान होने वाले हितलाभ, यदि कोई हो, में से उसके अभिदाय का समायोजन किया जायेगा। **(2).** यदि कोई लाभग्राही उपनियम (1) के अनुसार अभिदाय का संदाय करने से चूक करता है और उसके अभिदाय का समायोजन भी उपनियम (1) के अंर्तगत संभव नही है तब वह लाभग्राही नही रह जायेगाः परंतु यह कि सचिव अथवा इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से लाभग्राही की सदस्यता प्रत्यावर्तित हो सकेगी, यदि अभिदाय की बकाया धनराशि दस रुपये वार्षिक की दर से जुर्माने के साथ जमा की जाए, किंतु यह प्रत्यावर्तन दो बार से अधिक आवृति पर न होगा।

पेंशन संदाय के लिए प्रक्रिया :–5. पेंशन की राशि एक सौ पचास रूपये प्रतिमाह होगी। पाँच वर्ष बाद इसमें दस रूपये की वृद्दि सेवा के प्रति एक वर्ष पूर्ण करने की दर से की जायेगी। बोर्ड सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने के पश्चात पेंशन को पुनरीक्षित कर सकता है।	**पेंशन संदाय के लिए प्रक्रिया :–5.** पेंशन की राशि पॉच सौ रूपये प्रतिमाह होगी। इसमें पच्चीस रूपये की वृद्दि सेवा के प्रति एक वर्ष पूर्ण करने की दर से की जायेगी। बोर्ड सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने के पश्चात पेंशन को पुनरीक्षित कर सकता है।

(ख). मूल नियमावली के नियम 273 के उपनियम (6) के पश्चात् एक नया उपनियम (7) निम्नवत अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात–

"(7) शासन की पूर्व स्वीकृति पर केंद्र सरकार की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एवं स्वालंबन योजना ;छंजपवदंस च्मदेवद ैलेजमउ दृ छच्ै सपजम ंदक ैूंसंउइंद ैबीमउमद्ध अथवा समय–समय पर निर्मित अन्य पेंशन योजनाओं के अंतर्गत भी फायदाग्राही को पेंशन भुगतान किया जा सकता हैः

परन्तु यह कि एक बार में उपरोक्त उप नियम (5) अथवा उपनियम (7) के अंतर्गत देय पेंशन लाभ, जो फायादाग्राही को अधिक उपयोगी होगा, देय होगा।

नियम 275 का संशोधन

8. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 275 (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1 **विद्यमान उपनियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
निःशक्तता पेंशनः–(1). बोर्ड ऐसे फायदाग्राही को, जो लकवा, कुष्ठ रोग, तपेदिक, दुर्घटना आदि के कारण स्थाई रुप से निःशक्त हो गया है, एक सौ पचास रुपये प्रतिमाह की दर से निःशक्तता पेंशन स्वीकृत कर सकता है। इस पेंशन के अतिरिक्त वह पाँच हजार रुपये से अनधिक अनुग्रह राशि के लिए भी पात्र होगा जो निःशक्तता के प्रतिशत तथा बोर्ड द्वारा विनिश्चत किसी शर्त के अधीन होगा।	**निःशक्तता पेंशनः–(1).** बोर्ड ऐसे फायदाग्राही को, जो लकवा, कुष्ठ रोग, तपेदिक, दुर्घटना आदि के कारण स्थाई रुप से निःशक्त हो गया है, पाँच सौ रुपये प्रतिमाह की दर से निःशक्तता पेंशन स्वीकृत कर सकता है। इस पेंशन के अतिरिक्त वह तीस हजार रुपये से अनधिक आर्थिक सहायता के लिए भी पात्र होगा, जो निःशक्तता के प्रतिशत तथा बोर्ड द्वारा विनिश्चत किसी शर्त के अधीन होगा। परंतु यह कि शासन की स्वीकृति के उपरांत फायदाग्राही के लिए अन्य अधिक उपयोगी पेंशन योजनाओं के अंतर्गत भी निःशक्तता पेंशन का भुगतान किया जा सकता है।

नियम 276 का संशोधन

9. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 276

के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
औजार क्रय करने के लिए ऋणः– 276. निधि के सदस्य को पाँच हजार रुपये तक की राशि औजारों को क्रय करने के लिए ऋण के रुप में स्वीकृत की जा सकती है। ऐसे सदस्य जिन्होने निधि में अपनी सदस्यता 3 वर्ष तक पूरी कर ली है और जो अपना अभिदाय नियमित रुप से करते हैं, इस ऋण के लिए पात्र होंगे। फायदाग्राही की आयु 55 वर्ष से कम होनी चाहिए। ऋण की धनराशि की वसूली साठ किश्तों से अधिक में नही की जायेगी। इस ऋण हेतु आवेदन प्रारुप संख्या ग्स- में बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेजों सहित किया जायेगा।	**औजार क्रय करने के लिए आर्थिक सहायताः– 276.** निधि के सदस्य को उसके प्रार्थना–पत्र के आधार पर दस हजार रुपये तक की सीमा तक के टूल–किट के रुप में सहायता स्वीकृत की जा सकती है। ऐसे सदस्य जिन्होंने निधि में अपनी सदस्यता एक वर्ष तक पूरी कर ली है, जो अपना अभिदाय नियमित रुप से करते हैं और जिनकी उम्र 55 वर्ष से अनधिक है, इस सहायता के लिए पात्र होंगे। इस सहायता को प्राप्त करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व, मृत्यु को छोड़कर, निधि का सदस्य न रहने पर प्राप्त टूल–किट को बोर्ड को वापस करना अनिवार्य होगा।

नियम 277 का संशोधन

10. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 277 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
अन्त्येष्टि–सहायता का भुगतानः– 277. बोर्ड, मृतक सदस्य के नामितों/आश्रितों को अन्त्येष्टि संस्कार खर्च के लिए एक हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत कर सकता है। इस फायदा के लिए आवेदन प्रारुप ग्स्प् में प्रस्तुत किया जायेगा।	**अन्त्येष्टि–सहायता का भुगतानः– 277.** बोर्ड, मृतक सदस्य के नामितों/आश्रितों को अन्त्येष्टि संस्कार खर्च के लिए दो हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत कर सकता है। इस फायदा के लिए आवेदन पारूप ग्स्प् में प्रस्तुत किया जायेगा।

नियम 278 का संशोधन

11. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 278 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
मृत्यु पर सहायता का संदायः– 278. बोर्ड किसी सदस्य की मृत्यु पर उसके नामितों/आश्रितों को पन्द्रह हजार रुपये की	**मृत्यु पर सहायता का संदायः– 278.** बोर्ड, किसी सदस्य की स्वाभाविक मृत्यु पर उसके नामितों/आश्रितों को पचास हाजर रुपये की धनराशि मृत्यु सहायता के रुप में संदाय स्वीकृत कर

धनराशि मृत्यु सहायता के रुप में संदाय स्वीकृत कर सकता है। यदि मृत्यु नियोजन के दौरान घटित दुर्घटना से कारित हुई हो तब सदस्य के नामिति/आश्रितों को मृत्यु सहायता के रुप में पचास हजार रुपया दिया जायेगा।

सकता है। यदि मृत्यु नियोजन के दौरान घटित दुर्घटना से कारित हुई हो तब सदस्य के नामितों/आश्रितों को मृत्यु सहायता के रुप में एक लाख रुपया दिया जायेगा।

नियम 280 का संशोधन

12. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 280 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1
विद्यमान नियम

फायदाग्राहियों को चिकित्सा सहायताः– 280. बोर्ड ऐसे फायदाग्राही को, जो दुर्घटना या बीमारी के कारण 5 या अधिक दिनों से चिकित्सालय में भर्ती है, को आर्थिक सहायता स्वीकृत कर सकता है। आर्थिक सहायता की राशि प्रथम पाँच दिनों के लिए दो सौ रुपया तथा तत्पश्चात शेष दिनों में 25/– रुपया प्रतिदिन किंतु अधिकतम एक हजार रुपया तक सीमित रहेगी। यह सहायता उस फायदाग्राही को दी जा सकेगी जो दुर्घटनाग्रस्त होने पर प्लास्टर पट्टी में अपने घर पड़ा है। यदि निःशक्तता दुर्घटना से कारित हुई हो, तब कर्मकार पाँच सौ रुपये तक की आर्थिक सहायता के लिए पात्र होगा किंतु यह निःशक्तता के प्रतिशत पर निर्भर करेगा। इस हेतु आवेदन प्रारुप संख्या ग्स्प् या ग्स्ट्प पर ऐसे दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा बोर्ड विनिर्दिष्ट करे।

स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

फायदाग्राहियों को चिकित्सा सहायताः– 280. बोर्ड, द्वारा फायदाग्राही को, दुर्घटना या बीमारी की स्थिति में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ;ैत्ठल्द्ध के अंर्तगत चिकित्सा सहायता उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें योजना के अंर्तगत देय प्रीमियम का भुगतान बोर्ड द्वारा प्राप्त सैस में से किया जायेगा।

परंतु यह कि शासन की स्वीकृति के उपरान्त फायदाग्राही के लिए अतिरिक्त अथवा अन्य अधिक उपयोगी चिकित्सा सहायता उपलब्ध करायी जा सकती है। इस हेतु आवेदन पत्र पारुप ग्स्प् या ग्स्ट्प अपेक्षित परिवर्तन के साथ ऐसे दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा बोर्ड विनिर्दिष्ट करे।

नियम 282 का संशोधन

13. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 282 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1
विद्यमान नियम

विवाह हेतु आर्थिक सहायताः– 282. ऐसे

स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

विवाह हेतु आर्थिक सहायताः– 282. ऐसे निर्माण कर्मकार जो

निर्माण कर्मकार जो निरंतर 3 वर्ष से सदस्य हैं, अपनी संतान के विवाह हेतु दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। निधि की महिला सदस्य भी स्वयं के विवाह हेतु इस सहायता के लिए पात्र होगी। यह सहायता फायदाग्राही को दो संतानों के विवाहों तक सीमित रखते हुए स्वीकृत की जायेगी। इस हेतु आवेदन प्रारुप ग्स्प्ट में ऐसे दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

निरंतर एक वर्ष से सदस्य हैं, अपनी आश्रित पुत्री के विवाह हेतु ग्यारह हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। निधि की महिला सदस्य भी स्वयं के विवाह हेतु इस सहायता के लिए पात्र होगी। यह सहायता फायदाग्राही को दो पुत्रियों के विवाहों तक सीमित रखते हुए स्वीकृत की जायेगी। इस हेतु आवेदन प्रारुप ग्स्प्ट में ऐसे दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

नियम 283 का संशोधन

14. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 283 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
कुटुम्ब पेंशनः– 283. पेंशनभोगी की मृत्यु की दशा में कुटुम्ब पेंशन उत्तरजीवी पति या पत्नी को दी जाएगी। पेंशन की धनराशि, पेंशनभोगी द्वारा प्राप्त की गयी पेंशन का 50 प्रतिशत अथवा एक सौ रुपये जो भी अधिक हो, निश्चित होगी। इस हेतु आवेदन पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि से 3 माह के भीतर प्रारुप की संख्या ग्स्ट में ऐसे दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।	**कुटुम्ब पेंशनः– 283(क).** पेंशनभोगी की मृत्यु की दशा में कुटुम्ब पेंशन उत्तरजीवी पति या पत्नी को दी जाएगी। पेंशन की धनराशि, पेंशनभोगी द्वारा प्राप्त की गयी पेंशन का 50 प्रतिशत अथवा तीन सौ रुपये जो भी अधिक हो, निश्चित होगी। इस हेतु आवेदन पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि से 3 माह के भीतर प्रारुप की संख्या ग्स्ट में ऐसे दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय। **(ख).** मूल नियमावली के नियम 283 के खण्ड पुर्नसंख्यांकित करते हुए एक खण्ड (ख) अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात– **"(ख).** बोर्ड सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात सन्निर्माण कर्मकारों को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य कल्याण योजनाओं के अंर्तगत भी लाभ प्रदान कर सकता है।"

प्रारूप—ग्गटप्
रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन
{देखिए नियम 266(4)}

पासपोर्ट
सइज
का फोटो

1. नाम..

2. पता..

    ....

3. क्या अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के हैं...

4. पिता का नाम...

5. वैवाहिक स्थिति (विवाहिता / अविवाहिता / विधवा / विधुर)...

6. जन्म तिथि ....

7. प्रतिष्ठान का नाम, पता तथा पंजीकरण संख्या, जहाँ आवेदक कार्यरत है

    ....

    ....

8. ई0 एस0 आई0 / पी0 एफ0 नं0 ....

1. सेवायोजक का नाम एवं पता ....

    ....

    ....

2. कुल सेवाकाल ....

3. अंशदान की दर ....

4. बैंक एवं उसकी शाखा का नाम जहाँ अंशदान का भुगतान किया गया

    ....

5. यदि आवेदक पहले से ही किसी कल्याण बोर्ड का सदस्य है तो उस कल्याण बोर्ड का नाम, तथा आवेदक की उक्त बोर्ड में पंजीकरण संख्या

....

....

उपरोक्त तथ्य उसकी सम्पूर्ण जानकारी और सुचना के अनुसार सत्य है।

स्थान :—

दिनांकः—

आवेदक के हस्ताक्षर

सेवायोजक का नाम और हस्ताक्षर

प्रारूप–ग्गटप्प्
देखिए नियम 266(7),
नाम निर्देशन का प्रारूप

मै अपनी मृत्यु की दशा में, कल्याण निधि से समस्त शोध्यों को मेरी ओर से प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को मेरे कानूनी वारिस के रूप में एतदद्वारा नाम निर्देशित करता हूँ।

नाम निर्देशिती/ निर्देशितीयों का नाम तथा पता	लाभार्थी सदस्य से सम्बन्ध	नाम निर्देशिती की आयु	नाम निर्देशितीयों को भुगतान किये जाने वाले शोध्यों का प्रतिशत धनराशि
1	2	3	4

स्थान :–
दिनांक

आवेदक कर्मकार का नाम व पता

पंजीकरण संख्या

साक्षी का नाम व पता

प्रारूप–XXIV (देखिए नियम 266 (8),
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार का पहचान पत्र

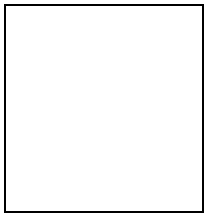

पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय मुद्रा सहित
उसके हस्ताक्षर, पदनाम और तिथि

सदस्य का नाम...
पता ....
....
....
....
.....

पुरुष / स्त्री...
कार्य का नाम...
पंजीकरण संख्या...

जिला...

पंजीकरण का दिनांक...

बैंक एवं उसकी शाखा का नाम जिसमें अंशदान जमा होता है
....
....
....

अंशदान की दर, रुपये 75 / – वार्षिक तथा पंजीकरण शुल्क रुपये 25 / –

जन्म तिथि...
आयु के पूर्ण वर्ष...

सेवानिवृत्ति की तिथि

वैवाहिक स्थिति विवाहित / अविवाहित
पत्नी / पति नाम..
पता...
....
....
क्या पत्नी / पति इस कल्याण बोर्ड के सदस्य हैं यदि हाँ तो उसका नाम एवं रजिस्ट्रीकरण संख्या...

नामितियों के नाम..
....
....

सदस्य के संबंध
सदस्य के हस्ताक्षर / अँगूठे के निशान

पंजीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.....

पुत्र/पुत्री/पत्नी.....जो वर्तमान में.....

में निवास करते हैं, मेरे अधीन.....

योजना में विगत.....से निर्माण श्रमिक के रुप में नियोजित

हैं/रहे हैं।

नियोजक/संस्था का नाम

स्थानः

दिनांकः

प्रतिहस्ताक्षरित

पंजीकरण अधिकारी

स्थानः

दिनांकः

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ..... निवासी ..... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00, 000/– (तीन लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
(ग) स्त्री या बालक
(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
(च) औद्योगिक कर्मकार
(छ) युद्व में शहीद सैनिक आश्रित
(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हॉ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें
(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी
पता –
नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1. सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2. सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3. सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4. सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5. सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6. सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7. सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8. सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रष्टाचार निवारण विधि
9. सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10. सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11. सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12. सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि
13. सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14. सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15. सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16. सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17. सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18. सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19. सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20. सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21. सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22. सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23. सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24. सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25. सरल कानूनी ज्ञान माला–25	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26. सरल कानूनी ज्ञान माला–26	उपभोक्ता संरक्षण कानून
27. सरल कानूनी ज्ञान माला–27	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28. सरल कानूनी ज्ञान माला–28	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29. सरल कानूनी ज्ञान माला–29	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30. सरल कानूनी ज्ञान माला–30	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31. सरल कानूनी ज्ञान माला–31	तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32. सरल कानूनी ज्ञान माला–32	दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला–33	बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34. सरल कानूनी ज्ञान माला–34	पुलिस शिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35. सरल कानूनी ज्ञान माला–35	मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला–36	श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला–37	उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)

38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38 सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40 एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41 मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42 शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43 समाज कल्याण संबंधी सरकारी योजनाएं
44. सरल कानूनी ज्ञान माला–44 कानून की जानकारी आखिर क्यों?
45. सरल कानूनी ज्ञान माला–45 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
46. सरल कानूनी ज्ञान माला–46 आपदा प्रबंधन
47. सरल कानूनी ज्ञान माला–47 उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013
48. सरल कानूनी ज्ञान माला–48 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2015

विधिक सेवाएं क्या है ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक
12. HIV/एड़स से सक्रमित व्यक्ति

नोटः– क्रम संख्या 1, 7, 9, 10 11 एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

सदस्य–सचिव **कार्यपालक अध्यक्ष**

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल